



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2014/आषाढ 10, 1936

No. 340]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2014/ASADHA 10, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2014

सा.का.नि. 425(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (लागत लेखांकन अभिलेख) नियम, 2011; कंपनी (लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011; लागत लेखांकन अभिलेख (दूरसंचार उद्योग) नियम, 2011; लागत लेखांकन अभिलेख (पेट्रोलियम उद्योग) नियम, 2011; लागत लेखांकन अभिलेख (विद्युत उद्योग) नियम, 2011; लागत लेखांकन अभिलेख (शर्करा उद्योग) नियम, 2011; लागत लेखांकन अभिलेख (उर्वरक उद्योग) नियम, 2011 और लागत लेखांकन अभिलेख (भेषजी उद्योग) नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) “व्यवसायर्त् लागत लेखाकार” से लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखाकार अभिप्रेत है जिसके पास उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन व्यवसाय का वैध प्रमाणपत्र हो और जिसे अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के अधीन व्यवसाय में माना जाता है तथा जिसमें लागत लेखाकारों की फर्म या सीमित देयता भागीदारी शामिल है;

(ग) “लागत लेखापरीक्षक” से खंड (ख) में यथापरिभाषित, बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यवसायर्त् लागत लेखापरीक्षक से अभिप्रेत है;

(घ) “लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट” से लागत लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से लेखापरिक्षित और हस्ताक्षरित रिपोर्ट जिसमें लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक, उपाबंध, अर्हताएं या संप्रेक्षण आदि शामिल हैं, अभिप्रेत है;

(ङ.) “लागत अभिलेख” से अधिनियम की धारा 148 और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार माल के उत्पादन या सेवाओं के उपबंध के लिए लागू सामग्रियों के उपयोग, श्रम और लागत की अन्य मदों के प्रयोग से संबंधित लेखाबहियां से अभिप्रेत है;

(च) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(छ) “संस्थान” से लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन गठित भारतीय लागत लेखाकार संस्थान अभिप्रेत है;

(ज) इन नियमों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए और अधिनियम में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में उनका है।

**3. लागत अभिलेखों का लागू होना -** अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (42) में परिभाषित विदेशी कंपनियों सहित कंपनियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उनकी लेखाबहियों में लागत अभिलेखों को शामिल करना अपेक्षित होगा, अर्थात्: —

(क) सामरिक क्षेत्रों में निम्नलिखित मालों के उत्पादन में लगी हुई कंपनियां:

(क) (i) अनुषंगी मद या मदों को छोड़कर रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में उपयोग होने वाली मशीनरी और यांत्रिक उपकरण:

**स्पष्टीकरण:** इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी कोई कंपनी जो इस खंड के अधीन उपयोग के लिए अनन्य रूप से आपूर्ति की जा रही किसी मद या मदों से संबंधित है, को इन नियमों के अधीन आने वाली कंपनी माना जाएगा;

(ii) टरबो जेट और टरबो प्रोपेलर;

(iii) शस्त्र और गोला-बारूद;

(iv) प्रोपलेंट पाउडर; तैयार विस्फोटक (प्रोपलेंट पाउडर से भिन्न); सुरक्षा फ्यूज; विस्फोटक फ्यूज; अघात या विस्फोटक टोपियां; पलीता; विद्युत अघात;

(v) राडार साधिग, रेडियो संचालन सहायक साधिग तथा रेडियो दूरस्थ नियंत्रण साधिग;

(vi) टैंक और अन्य बख्तरबंद लडाकू यान, मोटरीकृत, चाहे शस्त्रों से सुसज्जित हों या नहीं तथा ऐसे यानों के हिस्से-पुर्जे, जिनका नब्बे प्रतिशत या अधिक वित्त (कंपनी में किए गए निवेश) सरकारी या सरकारी अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि कंपनी का निवल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक है या कारोबार पांच सौ करोड़ रुपए या अधिक है तो उस पर खंड (क) के उपबंध लागू होंगे।

(ख) किसी क्षेत्रीय विनियामक या केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा विनियमित किसी उद्योग में लगी हुई कंपनियां:

(क) (i) प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन प्रमुख बंदरगाहों के लिए सीमाफीस प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी जहाज या वस्तुओं के संबंध में बंदरगाह द्वारा प्रदान की जा रही स्टीवेडोरिंग, पायलटेज, हालिंग, मूरिंग, रिमूरिंग, हुकिंग, मेजरिंग, लोडिंग और अनलोडिंग सेवाएं;

- (ii) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के अधीन विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित और विमानपत्तनों द्वारा दी जा रही हवाई यातायात प्रबंधन, वायुयान परिचालन, भू-सुरक्षा सेवाएं, भू-रख-रखाव, कार्गो सुविधाएं तथा ईंधन की आपूर्ति जैसी वैमानिक सेवाएं;
- (iii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा उपभोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही तथा विनियमित संकेत, सिग्नल, लिखाई, चित्र और ध्वनि या किसी प्रकार की सूचना (प्रसारण सेवाओं से भिन्न) का प्रसार या प्राप्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दूरसंचार सेवाएं;
- (iv) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन संबंधित विनियामक निकाय या प्राधिकरण द्वारा विनियमित विद्युत का उत्पादन, संचरण, वितरण और आपूर्ति जिसमें कैप्टिव उत्पादन (विद्युत नियमों के अधीन यथापरिभाषित) शामिल नहीं है;
- (v) इस्पात;
- (vi) सड़कें और अन्य अवसंरचना परियोजनाएं;
- (vii) औषधी और भेषजी;
- (viii) उर्वरक;
- (ix) शर्करा और औद्योगिक अल्कोहल;
- (x) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा विनियमित पेट्रोलियम उत्पाद;
- (xi) रबड़ बोर्ड द्वारा विनियमित किए जा रहे रबड़ और संबद्ध उत्पाद।
- (ख) खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, अधिकतम सीमा इस प्रकार है:—
- (i) बहु-उत्पाद या बहु-सेवा कंपनी (अर्थात् एक से अधिक उत्पाद का उत्पादन या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी) की दशा में, एक उत्पाद या सेवा जिसका व्यष्टिक कारोबार (विशेष उत्पाद या उस विशेष सेवा से) पचास करोड़ रुपए या अधिक है;
- (ii) किसी एक विशेष उत्पाद का उत्पादन या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की दशा में, यदि कंपनी का निवल मूल्य एक सौ पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक है या कारोबार पचीस करोड़ रुपए या अधिक है।
- (ग) क्षेत्रीय विनियामक द्वारा विनियमित किसी उद्योग में लगी हुई कंपनियों की दशा में लागत अभिलेखों से संबंधित क्षेत्रीय विनियामक की अपेक्षाओं को गणना में लिया जाएगा।
- (ग) लोकहित वाले क्षेत्रों में प्रचालन कर रही कंपनियां:
- (क) (i) रेलवे या ट्रामवे इंजन, रॉलिंग स्टॉक, रेलवे या ट्रामवे सज्जा और उपसाधन, यांत्रिक (वैद्युत यांत्रिक सहित) सभी प्रकार के यातायात संकेत उपकरण;
- (ii) सीमेंट सहित खनिज उत्पाद;
- (iii) कच्ची धातुएं;
- (iv) खनिज ईंधन (पेट्रोलियम को छोड़कर), खनिज तेल आदि;
- (v) आधारी धातु;
- (vi) अकार्बनिक रसायन, मूल्यवान धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी तत्वों या आइसोटोप की दुर्लभ धातुएं और कार्बनिक रसायन;
- (vii) जूट और जूट उत्पाद;
- (viii) प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अधीन खाद्य तेल;
- (ix) संनिर्माण उद्योग;

- (x) स्वास्थ्य सेवाओं में लगी हुई कंपनियां अर्थात् अस्पताल, डायग्नोस्टिक केन्द्र, नैदानिक केन्द्र या जांच प्रयोगशाला के रूप में लगी हुई अथवा उनको चलाने वाली कंपनियां;
- (xi) शिक्षा सेवाओं में लगी हुई कंपनियां जिसमें परोपकार के अंतर्गत आने वाली ऐसी सेवाओं या सामाजिक कल्याण के लिए खर्च की गई राशि शामिल नहीं है जो किसी कारबार का हिस्सा न हो।
- (ख) खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार होगी:-
- (i) बहु-उत्पाद या बहु-सेवा कंपनी (अर्थात् एक से अधिक उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने वाली कंपनी) की दशा में, किसी उत्पाद या सेवा जिसका व्यक्तिगत कारोबार (विशेष उत्पाद या उस विशेष सेवा से) पचास करोड़ रुपए या अधिक है;
- (ii) किसी एक विशेष उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने वाली कंपनी की दशा में, यदि कंपनी का निवल मूल्य एक सौ पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक या कारोबार पचीस करोड़ रुपए या अधिक है।
- (घ) निम्नलिखित चिकित्सा युक्तियों के उत्पादन, आयात और आपूर्ति या व्यवसाय में लगी हुई कंपनियां (केवल लायजन वाली कंपनियों को छोड़कर विदेशी कंपनियों सहित), अर्थात्:-
- (क) (i) कार्डिएक स्टेंट्स;
- (ii) ड्रग इलुटिंग स्टेंट्स;
- (iii) केथेटर्स;
- (iv) इंद्रा ओकुलर लेंस;
- (v) बोन सिमेंट्स;
- (vi) हार्ट वाल्व्स;
- (vii) ऑर्थोपिडिक इम्प्लांट्स;
- (viii) इंटरनल प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट्स;
- (ix) स्कल्प वेन सेट;
- (x) डीप ब्रेन स्टिम्युलेटर;
- (xi) वेंट्रीकुलर पेरिफेरल शूड;
- (xii) स्पायनल इम्प्लांट्स;
- (xiii) ऑटोमैटिक इंपलपेबल कार्डिएक डेफ्लोबिलेटर;
- (xiv) पेसमेकर (अस्थायी और स्थायी);
- (xv) पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रीकूलर सेप्टल डिफेक्ट क्लोजर डिवाइस;
- (xvi) कार्डिएक रि-सिंक्रोनाइज थेरेपि;
- (xvii) यूरेथ्रा स्पिनिकटर डिवाइस;
- (xviii) स्लिंग पुरुष या महिला;
- (xix) प्रोस्टेट ऑक्लुजन डिवाइस; और
- (xx) यूरेथ्रल स्टेंट्स।
- (ख) खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम सीमा नीचे दिए अनुसार होगी:-
- (i) एक बहु-उत्पाद या बहु-सेवा कंपनी (अर्थात् एक से अधिक उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने वाली कंपनी) की दशा में, किसी उत्पाद या सेवा जिसका व्यक्तिगत कारोबार (विशेष उत्पाद या उस विशेष सेवा से) दस करोड़ रुपए या अधिक या कारोबार का एक तिहाई, जो भी कम हो, है;
- (ii) किसी एक विशेष उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने वाली कंपनी की दशा में, यदि कंपनी का निवल मूल्य एक सौ पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक या कारोबार पचीस करोड़ रुपए या अधिक है।

#### 4. लागत लेखापरीक्षा का लागू होना. -

- (1) सामरिक उद्योग में लगी हुई और नियम 3 के खंड (क) के उप-खंड (ख) के अधीन आने वाली प्रत्येक कंपनी के लिए इन नियमों के अनुसार अपने लागत अभिलेखों को लेखापरिक्षित करवाना अपेक्षित है।
- (2) नियम 3 के खंड (ख) के उप-खंड (ख) तथा खंड (ग) के उप-खंड (ख) में विनिर्दिष्ट एक बहु-उत्पाद या बहु-सेवा कंपनी की दशा में, किसी उत्पाद या सेवा जिसका व्यष्टिक कारोबार (विशेष उत्पाद या उस विशेष सेवा से) सौ करोड़ रुपए या अधिक है के लिए लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षा लागू होगी:
- (3) नियम 3 के खंड (ख) के उप-खंड (ख) तथा खंड (ग) के उप-खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी एक विशेष उत्पाद का उत्पादन या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी की दशा में, यदि कंपनी का निवल मूल्य पाच सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक या उस विशेष उत्पाद या विशेष रूप से कारोबार सौ करोड़ रुपए या अधिक है तो लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षा लागू होगी।
- (4) नियम 3 के खंड (घ) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट चिकित्सा उत्पादों या युक्तियों में लगी हुई कंपनी की दशा में:-
  - (i) जिसके बहु-उत्पाद या युक्तियां हैं (अर्थात् एक से अधिक चिकित्सा युक्ति या उत्पाद का उत्पादन, आयात तथा आपूर्ति या व्यवसाय करने वाली कंपनी), के लिए लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षा ऐसे चिकित्सा उपकरण या उत्पाद के लिए लागू होगी जिसके लिए अलग से कारोबार (ऐसी विशेष चिकित्सा उपकरण या उत्पाद के लिए) दस करोड़ रुपए या अधिक है या कारोबार का एक-तिहाई, जो भी कम हो, है;
  - (ii) जिसका केवल एक उत्पाद या युक्ति है (अर्थात् एक चिकित्सा युक्ति या उत्पादन का उत्पादन, आयात तथा आपूर्ति तथा व्यवसाय करने वाली कंपनी), के लिए लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षा लागू होगी यदि कंपनी का निवल मूल्य एक सौ पचास करोड़ रुपए या अधिक है या कारोबार पचीस करोड़ रुपए या अधिक है।

#### 5. अभिलेखों का रख-रखाव - (1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक कंपनी, अपनी सभी इकाईयों और शाखाओं सहित, 01 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप सीआरए-1 में लागत अभिलेख रखेगी।

- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लागत अभिलेख नियमित आधार पर इस प्रकार रखे जाएंगे ताकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मासिक या तिमाही या अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर प्रत्येक उत्पाद और कार्यकलापों के लिए उत्पादन की प्रति इकाई लागत या परिचालन की लागत, विक्रय का मूल्य और अतिरिक्त राशि की गणना हो सके।
- (3) लागत अभिलेख इस प्रकार रखे जाएंगे ताकि कंपनी यथासंभव संसाधनों के उपयोग में अधिकतम मितव्ययता प्राप्त करने के लिए विभिन्न परिचालनों और लागत पर नियंत्रण रख सके। ये अभिलेख इन नियमों के अधीन भेजे जाने के लिए अपेक्षित आंकड़े भी उपलब्ध कराएंगे।

#### 6. लागत लेखापरीक्षा:- (1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट कंपनियों के वर्ग और नियम 4 में दी गई अवसीमा से ऊपर वाली प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन के भीतर एक लागत लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी।

- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी लागत लेखापरीक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना देगी और बोर्ड बैठक जिसमें वह नियुक्ति की गई है, के तीस दिन की अवधि के भीतर या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सरकार को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड से, प्ररूप सीआरए-2 में ऐसी नियुक्ति की सूचना फाइल करेगी।
- (3) इस प्रकार से नियुक्त प्रत्येक लागत लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष समाप्त होने से 180 दिन समाप्त होने तक या जब तक वह वित्तीय वर्ष, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करे, अपने पद पर बना रहेगा।
- (4) कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने वाला प्रत्येक लागत लेखापरीक्षक अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अपनी आपत्तियां या अर्हताएं या संप्रेक्षण या सुझाव, यदि कोई हो, प्ररूप सीआरए-3 में प्रस्तुत करेगा।
- (5) प्रत्येक लागत लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट वित्तीय वर्ष, जिससे वह रिपोर्ट संबंधित है की समाप्ति से 180 दिन की अवधि के समाप्त होने से पहले निदेशक बोर्ड को भेजेगा और निदेशक बोर्ड उसमें विशिष्टतः रिपोर्ट में निहित किसी आपत्ति या प्रतिबंध पर विचार और जांच करेगा।
- (6) इन नियमों के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक कंपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उक्त रिपोर्ट उसमें निहित प्रत्येक आपत्ति या अर्हता पर पूर्ण सूचना और स्पष्टीकरण केन्द्र सरकार को प्ररूप सीआरए-4 में कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ भेजेगी।
- (7) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के उपबंध तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम किसी लागत लेखापरीक्षक के लिए उसके कार्यों के निष्पादन के दौरान अधिनियम की धारा 148 और उसके नियमों के अधीन उसी प्रकार लागू होंगे।

7. **कतिपय मामलों में नियमों का लागू न होना.** - इन नियमों के अधीन लागत लेखापरीक्षा की अपेक्षा ऐसी कंपनी के लिए लागू नहीं होगी जो नियम 3 के अधीन आती है और

- (i) जिसका निर्यात से राजस्व विदेशी मुद्रा में उसके कुल राजस्व के 75% से अधिक है या
- (ii) जो किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र से प्रचालन कर रही है।

[फा. सं. 1/40/2013—सीएल—V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**उपाबंध**

**प्ररूप सीआरए-1**

**[कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा नियम, 294 के नियम 5(1) के अनुसरण में]**

**प्ररूप जिसमें लागत अभिलेख रखे जाएंगे**

**लेखाबहियों में शामिल किए जाने वाले लागत मदों से संबंधित विवरण**

**1. इनपुट सामग्री (सामग्रियां)/सेवा (सेवाएं):**

(1) निर्दिष्ट माल के उत्पादन या सेवाओं की अदायगी के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री/इनपुट सेवाओं (निर्माण तक सभी प्रत्यक्ष प्रभारों सहित) के प्रत्येक मद की मात्रा और लागत वार सभी प्राप्ति, निर्गम और शेष का अलग-अलग उचित अभिलेख रखा जाएगा। मात्रा, निर्गम की लागत और उपभोग की गणना के आधार भी लागत अभिलेख में दर्शाए जाएंगे और उनका नियमित अनुपालन किया जाएगा। आयायित कच्ची सामग्री/इनपुट सेवाओं की दशा में अनुज्ञप्ति वार अनुमत मात्रा, आयातित वास्तविक मात्राएं, उपभोग की गई वास्तविक मात्राएं, स्टॉक मात्रा और कुल अनुज्ञप्ति प्राप्त मात्रा में से अब तक आयात की गई सामग्री की मात्रा के साथ-साथ आयायित सामग्री/सेवा की मात्रा, पोत पर्यंत निफिस मूल्य, विदेशी भाड़ा, बीमा, सीमा-फीस और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभार दर्शाते हुए उपयुक्त अभिलेख रखा जाएगा। यदि स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की सामग्रियों/सेवाओं का उपभोग किया गया है तो प्रत्येक मद के लिए प्रतिशत वार ब्यौरों का अभिलेख रखा जाए।

(2) निर्दिष्ट माल के उत्पादन या सेवाओं की अदायगी के लिए प्रयुक्त मध्यवर्ती सामग्री/सेवा, प्रक्रिया सामग्री, एडीटिन्स, खरीदे गए अवयव, सब-असेंबलिज, एसेसिरिज, अर्ध-तैयार माल, उपयोग योग्य भंडार, स्पेयर्स, अन्य अप्रत्यक्ष माल सेवा आदि के प्रत्येक मद की मात्रा और लागत वार सभी प्राप्ति, निर्गम और शेष का अलग-अलग उचित अभिलेख रखा जाएगा। इस लागत में निर्माण/सेवाओं की अदायगी तक सभी प्रत्यक्ष प्रभार शामिल होंगे। एडीटिन्स, खरीदे गए अवयवों/खरीदी गई सेवाओं, सब-असेंबलिज, एसेसिरिज, अर्ध तैयार माल, उपयोग योग्य भंडार, स्पेयर्स, और अन्य अप्रत्यक्ष सामग्री/सेवा की दशा में उपभोग के लिए उपयुक्त रूप समायोजित किसी वित्त वर्ष में जारी या अदा किए गए मूल्य और मात्रा के लिए उपयुक्त अभिलेख रखा जाएगा। यदि किसी निर्विष्टी सामग्री/सेवा की जीवन प्रत्याशा एक वर्ष से अधिक है तो अपेक्षित समायोजन किया जाएगा। यदि इनपुट सामग्री/सेवा की जीवन प्रत्याशा ज्ञात नहीं है तो उपभोग का आकलन तकनीकी आधार पर किया जा सकता है।

(3) जहां कंपनी इन कच्ची सामग्रियों/इनपुट सेवाओं, मध्यवर्ती या प्रक्रिया सामग्री का उत्पादन करती है वहां ऐसी मदों के उत्पादन लागत/सेवा लागत दर्शाते हुए अलग अभिलेख रखे जाएंगे। कंपनी द्वारा उत्पादित या संसाधित ऐसी सामग्री/सेवा की मात्रा और जारी करने तथा उपभोग की लागत की गणना का आधार ही लागत अभिलेख में दर्शाया जाएगा और उसका अनुपालन किया जाएगा।

(4) सभी कच्ची सामग्री/इनपुट सेवाओं, मध्यवर्ती, संसाधन सामग्री, एडीटिन्स, तैयार माल, खरीदे गए अवयवों/खरीदी गई सेवाओं, सब-असेंबलिज, एसेसिरिज, अर्ध तैयार माल, उपभोग योग्य भंडार, स्पेयर और अन्य अप्रत्यक्ष सामग्री/सेवा के निर्गम और उपभोग की माल के उत्पादन/सेवाओं की अदायगी के अनुसार प्रक्रिया के साथ पहचान की जाएगी।

(5) सामग्री/सेवा की लागत की तुलना में विभिन्न स्तरों/प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण रिकवरीज की मात्रा और मूल्य को दर्शाते हुए उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे। यदि रिकवरीज का संसाधन में पुनः प्रयोग नहीं होता है और बिना आगे संसाधन/उपयोग के उनका विक्रय/हटा या नष्ट कर दिया जाता है तो ऐसी विक्री से प्राप्ति का अभिलेख रखा जाएगा और संबंधित संसाधन में समायोजित किया जाएगा। यदि और प्रसंस्करण के लिए यथा स्थिति प्रयोज्य या विक्रय-योग्य वसूलियां, और प्रसंस्करण/संवर्धन के लिए लगने वाली लागत का समुचित अभिलेख रखा जाएगा। यदि इस प्रकार की प्रसंस्करण/संवर्धन किसी

बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाता है तो प्रसंस्करण/संवर्धन के लिए भेजी गई मात्रा, प्रसंस्करण/संवर्धन के बाद प्राप्त मात्रा और उस पर व्यय की गई लागत दर्शाने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएं। निवल प्राप्ति, यदि हो, तो उसे ऐसी वसूली से संबंधित प्रमुख प्रक्रिया में समायोजित किया जाए। वसूली की वास्तविक विक्रय प्राप्तियों के भी अभिलेख रखे जाएं।

(6). उपभोज्य भंडार की प्रत्येक मद की मात्रा और लागत दोनों में, उपर्युक्त में शामिल न होने वाली अन्य प्रक्रिया, छोटे उपकरण तथा मशीनरी स्पेयर्स में प्राप्ति, निर्गमन और बकाया राशि का समुचित अभिलेख रखा जाए। निर्माण कार्य, सेवाओं तक सभी प्रत्यक्ष प्रभार लागत में शामिल किए जाएं।

(7). उपभोज्य भंडार, छोटे उपकरणों और मशीनरी स्पेयर्स की लागत संबंधित लागत केन्द्र/सेवा केन्द्र या सेवाओं की सुपुर्दगी वास्तविक निर्गमन के आधार पर प्रभारित की जाएगी। उपभोज्य भंडार तथा छोटे उपकरणों, अप्रत्यक्ष सेवाओं की दशा में, जिनकी लागत नगण्य (प्रयुक्त सामग्री की लागत से 5% कम) है, कंपनी, यदि चाहे तो ऐसे उपभोज्य भंडारों, उपकरणों तथा अप्रत्यक्ष सेवाओं के समूह के लिए ऐसे अभिलेख रख सकती है।

(8). कच्ची सामग्री/निवेश सेवाओं, अंतवर्ती, प्रक्रिया सामग्रियों/सेवाओं, उपभोज्य भंडार, छोटे उपकरण और मशीनरी स्पेयर्स, चाहे परिवहन भंडारण, उत्पादन या अन्य किसी स्तर पर हो, कोई बर्बादी, अपशिष्ट, अस्वीकृत या क्षति की मात्रा और मूल्य दर्शाने वाला समुचित अभिलेख रखा जाएगा। वस्तु(ओं)/सेवा(ओं) की लागत निर्धारण में उपर्युक्त हानि और अस्वीकृत तथा बर्बादी सहित अपशिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के निपटान से प्राप्त आय के समायोजन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा। किसी असामान्य बर्बादी, या अपशिष्ट या अस्वीकृति या हानि और उसके कारणों का भी विशेष और अलग से उल्लेख किया जाएगा।

(9). कच्ची सामग्रियों/इनपुट सेवाओं, मध्यवर्तियों और प्रक्रिया सामग्रियों/सेवाओं, तैयार और अर्ध-तैयार मालों/सेवाओं, उपभोज्य स्टोर, लघु औजारों तथा मशीनों के हिस्से पुर्जों, एडेटिव्स, विनिर्मित खरीदे गए संघटक/खरीदी गई सेवाओं, उपसंयोजनों, उपसाधनों, अर्ध तैयार माल, माल/सेवाओं, उपभोज्य भंडार, अतिरिक्त हिस्से पुर्जे और अन्य अप्रत्यक्ष सामग्रियों, सेवाएं जिनका 12 मास से अनधिक अवधि के लिए चालन/इस्तेमाल नहीं किया गया है के मूल्य को उपदर्शित करने के लिए समुचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(10). यदि केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या यदि सेवाकर हो तो वित्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर में कोई ऋण, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर/सेवा कर के प्रकार के कोई अन्य लाभ उपकरण/सेवा के किसी भी मद पर मिलते हो तो इस प्रकार के उपकरणों/सेवाओं की लागत इस तरह के ऋण या लाभ तय करने के बाद दिखायी जाएगी।

(11). यदि किसी इनपुट सामग्री/सेवा को किसी बाहरी पक्षकार के माध्यम से प्रसंस्कृत किया जाता है तो इसे तैयार के लिए भेजी गई मात्रा, तैयार होने के पश्चात् प्राप्त मात्रा, उपकरण/सेवा की मात्रा का अधिशेष, निर्माण के दौरान उपकरण/सेवा का नुकसान और अपव्यय, उत्पाद के मूल्य बढ़ने पर, यदि कोई हो तो, और सेवा की प्रक्रिया/प्रस्तुत करने सहित लागत के उचित अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

## 2. वेतन और मजदूरी:

(1) उपस्थिति और अर्जन को उपदर्शित करने के लिए लागत केन्द्रों और विभागों को समनुदेशित और उस कार्य जिसपर वह नियोजित किए गए हैं के सभी कर्मचारियों के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। अभिलेख प्रत्येक लागत केन्द्र या विभाग के लिए निम्नलिखित को पृथक रूप से उपदर्शित करेंगे:

(क) मात्रानुपाती दर मजदूरी (जहां लागू हो);

- (ख) उत्पादन बोनस या आउटपुट के आधार पर किसी अन्य स्कीम के अधीन प्रोत्साहन मजदूरी (व्यष्टिक रूप से या सामूहिक रूप से)
- (ग) समयोपरि मजदूरी
- (घ) आकस्मिक या अनुबंधीय मजदूरी की कमाई
- (ङ) बोनस या उपदान, कानूनी और अन्य
- (च) पेंशन योजना में अभिदाय
- (छ) कर्मचारी स्टॉक विकल्प की लागत
- (ज) यात्रा अवकाश रियायत
- (झ) संदत्त छुट्टियां

- (ज) वेतन के साथ छुट्टी
- (ट) प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार व्यय
- (ठ) चिकित्सा/स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा व्यय
- (ड) मजदूर कल्याण के लिए कोई अन्य कानूनी उपबंध
- (ढ) कोई अन्य निःशुल्क या सहायिकीकृत सुविधा

(2) अभिलेखों को इस रीति से तैयार किया जाएगा जिससे कंपनी निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के संदर्भ सहित लागत केन्द्र अनुसार या विभागानुसार इन व्ययों को लेखाबही में दर्ज कर सके और आवश्यक ब्यौरे तैयार कर सके। जहां कर्मचारी इस तरीके से कार्य करते हैं कि उनकी किसी लागत केन्द्र विशेष/सेवा केन्द्र विशेष या विभाग विशेष के अनुसार पहचान नहीं की जा सके वहां कर्मचारी लागत को लागत केन्द्र/सेवा केन्द्रों या विभागों में बराबर और उचित आधार पर लागत केन्द्र/सेवा केन्द्रों या विभागों को बांटा जाएगा और नियमित रूप से लागू होगा।

(3) निष्क्रिय मजदूर लागत का अभिलेख इसके कारण बताने वाले वर्गीकृत शीर्षक में अलग से तैयार किया जाएगा। निष्क्रिय समय के लिए दिए गए वेतन के लेखाकरण के लिए प्रयुक्त विधि को लागत अभिलेखों का प्रकटन किया जाएगा।

(4) पूंजीगत कार्यों जैसे कारखानों और मशीनरी, इमारतों या अन्य जंगम आस्तियों के लिए आबंटनीय कोई मजदूरी या वेतन संबंधित पूंजीगत शीर्ष के अधीन गणना में लिया जाएगा। इस तरह के वेतनों के लेखाकरण के लिए प्रयुक्त विधि निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं की लागत को जानने के लिए उचित और न्यायोचित आधार पर होगी और लगातार लागू की जाएगी। उक्त विधि का लागत अभिलेख में भी प्रकटन किया जाएगा।

(5) कर्मचारियों को मिलने वाले सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ की लागत अलग से अभिलेख की जाएगी और लागत पर प्रभारित की जाएगी। इस तरह की लागत के लेखाकरण के लिए प्रयुक्त विधि निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं की लागत को जानने के लिए उचित और न्यायोचित आधार पर होगी और लगातार लागू की जाएगी। उक्त विधि अलग से भी स्पष्ट की जाएगी। सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ के अतिरिक्त मिलने वाले लाभ जैसे कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन लाभ असामान्य व्यय माने जाते हैं और वेतन और मजदूरी के अंग और वस्तुओं के विनिर्माण/सेवाओं को प्रदान करने वाली लागत है।

### 3. उपयोगिताएं :

(1) विभिन्न लागत केन्द्रों पर उत्पादित और उपयुक्त प्रत्येक उपयोगी सेवा जैसे बिजली, पानी, वाष्प, अवशिष्ट उपचार आदि की मात्रा और लागत को इस रीति से दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे, जिनमें प्रत्येक उपयोगी सेवा का पृथक विवरण हो।

(2) अगर कोई उपयोगी सेवा क्रय की जाती है तो प्रत्येक क्रय की गई सेवा की मात्रा और लागत के लिए प्रत्यक्ष शुल्कों सहित उसकी सुपुर्द लागत को दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(3) यदि कंपनी या अन्य संबंधित पक्ष की किसी अन्य इकाई द्वारा कोई सेवा उत्पादित और उपलब्ध कराई जाती है तो उसकी लागत और मात्रा के आंकलन के लिए उसके उचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(4) यदि कोई सेवा कंपनी या उसके संबंधित पक्ष की किसी अन्य इकाई को उपलब्ध कराई जाती है तो उसकी गणना वास्तविक और उचित आधार पर की जाएगी और लगातार प्रयुक्त होगी।

(5) लागत केन्द्रों और निजी वस्तुओं/सेवाओं को आबंटित/विभाजित सेवा के लागत वास्तविक उचित आधार पर तय की जाएगी और लगातार प्रयुक्त होगी।

(6) यदि कोई सेवा निर्दिष्ट किसी वस्तु/सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल के लिए महत्वपूर्ण निवेश है तो इस तरह की प्रत्यक्ष सेवा इस तरह के कच्चे माल/इनपुट सेवा की लागत में शामिल की जाएगी और उसी के अनुसार दर्शायी जाएगी।

(7) सेवा के संबंध में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता, अनुदान/प्रोत्साहन, प्रत्यय वसुलियां, असामान्य लागत, शास्तियां या नुकसान के लिए संदाय को दर्शाने वाले उचित अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

(8) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय और प्रति इकाई पर वस्तुओं/सेवाओं की लागत पर तदनु रूप प्रभाव को दर्शाने वाले अभिलेख तैयार किए जाएंगे।

### 4. सेवा विभाग व्यय:

इंजीनियरिंग, कार्यशाला, डिजाईनिंग, लैब, सुरक्षा, परिवहन, कंप्यूटर इकाई, कल्याण आदि प्रत्येक सेवा लागत केन्द्र के व्यय को दर्शाने वाले अभिलेख तैयार किए जाएंगे। ये व्यय अन्य सेवाओं और उत्पादन विभागों में भी न्यायोचित और उचित आधार



पर विभाजित किए जाएंगे और लगातार लागू होंगे। यदि ये सेवाएं कंपनी की अन्य वस्तुओं/सेवाओं के लिए उपयोग की जाएगी तो निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं तथा अन्य वस्तुओं/सेवाओं के इस तरह के व्ययों पर विवरण यथार्थ और उचित आधार पर किया जाएगा और लगातार लागू होगा। उक्त आधार लागत अभिलेखों में भी स्पष्ट किया जाएगा। बाहरी पक्षों में विक्रय के संदर्भ सहित खरीद, उत्पादन, वितरण, विपणन और सेवाओं के मूल्य की लागत को दर्शाने वाले उचित अभिलेख तैयार किए जाएंगे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, अनुदान/प्रोत्साहन, वसूली, असामान्य लागत, अर्थदंड या नुकसान से संबंधित उचित अभिलेख तैयार करने के अतिरिक्त संबंधित पक्षों से प्राप्त/प्रस्तुत सेवाओं की लागत से और विदेशी विनिमय में लगी सेवा लागत केन्द्रों की लागत का उचित अभिलेख तैयार किया जाएगा।

##### 5. मरम्मत और रखरखाव:

(1) विभिन्न लागत केन्द्रों या विभागों में कार्यशाला, औजार कक्ष तथा मरम्मत और रखरखाव में हुए व्यय को दर्शाने वाला अभिलेख तैयार किया जाएगा। अभिलेख विभिन्न केन्द्रों और विभागों के इस तरह व्यय को भी दर्शाएंगे। इन-हाऊस और आऊटसोर्स पर किए गए कार्यों की मरम्मत और रखरखाव की लागत, महत्वपूर्ण जांच की लागत, संबंधित पक्ष को मरम्मत और रखरखाव के लिए चुकाई गई/चुकाने योग्य, विदेशी विनिमय में हुआ व्यय और किसी आर्थिक सहायता, अनुदान/प्रोत्साहन, प्रत्यय/वसूली, शास्ति और नुकसान और इस मत की लागत के असामान्य हिस्से से संबंधित अभिलेख तैयार किए जाएंगे। कार्यशाला, औजार कक्ष और मरम्मत व्यय रखरखाव की लागत के हिस्से वास्तविक उचित आधार निर्धारित किए जाएंगे।

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभिलेखों में राशि और भंडार की अधिशेष मालसूची का अनुपात और ऐसे मदों के हिस्से पुर्जे दर्शाए जाएंगे जो 24 माह से अधिक समय से उपयोग नहीं किए गए हैं।

(3) प्रमुख मरम्मत कार्यों पर व्यय जिससे एक से अधिक वित्त वर्ष के लिए लाभ प्राप्त होने की संभावना है, को पृथकतः उपदर्शित किया जाएगा और ऐसी अवधि, जिसके लिए उक्त लाभ साम्य, तथ्य निरंतर तर्कसंगत आधार पर प्राप्त होने की आशा है, को लागत में समामेलित किया जाएगा। ऐसी लागत के लेखाकरण की विधि और नियमन आधार भी लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

##### 6. नियत आस्तियां, अवक्षयण पट्टा:

(1) निर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन/सेवाओं की उपलब्धता जिनके संबंध में अवक्षयण का उपबंध किया जाना है, के लिए प्रयुक्त आस्तियों हेतु समुचित और पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। इन अभिलेखों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक वस्तु/सेवा के अधीन आस्तियों का समूहीकरण, स्थापना प्रभार, अधिग्रहण की तारीख और अवक्षयण की दर सहित प्रत्येक आस्ति के अधिग्रहण की लागत दर्शायी जाएगी।

(2) ऐसे अभिलेख रखे जाएंगे जो कुल अवक्षयण का, वर्ष का संचित अवक्षयण और निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के लिए प्रयुक्त भूमि तथा भवन, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर तथा उपस्कर आदि शीर्षों के अंतर्गत निवल जंगम आस्तियों का चयन और/या नियतन करने में सहायक होंगे। निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं की सांझी आस्तियों के विभाजन का आधार साम्य और तर्कसंगत आधार पर होगा और इसे निरंतर लागू किया जाएगा। आस्तियों के पुनः मूल्यांकन की दशा में इसका उल्लेख अलग से और पुनः मूल्यांकन पर अवक्षयण का अलग से उल्लेख भी किया जाएगा।

(3) विभिन्न लागत केन्द्र/सेवा केन्द्रों या विभागों के लिए अवक्षयण की गणना और नियतन या विभाजन का आधार और सभी वस्तुओं/सेवाओं पर समायोजन का लागत अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। यदि लागत केन्द्रों या विभागों पर प्रभारित या प्रभारयोग्य अवक्षयण कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्दिष्ट अवक्षयण की दरों को लागू करके आकलित अवक्षयण से अधिक या कम हो तो ऐसे आधिक्य या कम अवक्षयण का लागत अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। लागत अभिलेखों में प्रत्येक वस्तु/सेवा की प्रति इकाई लागत पर ऐसे आधिक्य या कम अवक्षयण, जैसा कि हो, के प्रभाव को भी दर्शाया जाएगा। तथापि आस्ति की किसी मद के प्रति लागत अभिलेख में प्रभारित संचित अवक्षयण संबंधित आस्ति की मूल लागत से अधिक न हो।

(4) पट्टे पर ली गई या दी गई आस्तियों के विवरण देने वाले समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। प्राप्त या प्रदत्त वित्तीय प्रभारों, अवक्षयण आदि के संबंध में पट्टा किराया के विभाजन का अलग से अभिलेख रखा जाएगा। संबंधित पक्षकार से ली गई और दी गई आस्तियों के विवरण अलग से रखे जाएंगे।

##### 7. ऊपरी शीर्ष:

(1) निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित ऊपरी व्ययों सहित अप्रत्यक्ष व्यय की विभिन्न मदों के समुचित अभिलेख रखे जाएंगे। इन व्ययों का कार्यों जैसे निर्माण, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण, मुख्यालय व्यय के अनुसार विश्लेषण, वर्गीकृत और समूहीकरण किया जाएगा।

(2) विदेशी मुद्रा, किसी सहायिकी, अनुदान, प्रोत्साहन, ऋण/वसूली, समायोजित न किए गए ऊपरी खर्चों और असामान्य व्यय पर खर्च किए गए ऊपरी खर्चों और साथ ही किसी संबंधित पार्टी से प्राप्त या सप्लाई किए गए संसाधनों के संबंध में समुचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(3) यदि कंपनी निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निर्माण/सेवाएं प्रदान कर रही है तो अभिलेखों में कंपनी के इस प्रकार की वस्तुओं/सेवाओं और पूंजी निर्माण कार्यों सहित निर्दिष्ट वस्तु/सेवाओं के मुख्यालय व्यय सहित साझे ऊपरी खर्चों के विभाजन के लिए अपनाए जा रहे आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। यदि ऊपरी खर्चों के एक भाग में कतिपय व्यय किसी विशेष वस्तु/सेवा के साथ जोड़े जा सकते हों तो उक्त व्यय को पहले अलग किया जाएगा और प्रथमदृष्टया संबंधित वस्तुओं/सेवाओं से प्रभारित किया जाएगा और उसके बाद ऊपरी खर्च की उपर्युक्त श्रेणियों के तहत शेष व्यय का विभाजन निरंतर, साम्य और तर्कसंगत आधार पर किया जाएगा। पूंजी निर्माण कार्यों के लिए प्रभार योग्य ऊपरी खर्च का उल्लेख लागत अभिलेखों में अलग से किया जाएगा। लागत केन्द्रों या विभागों तथा वस्तुओं/सेवाओं के ऊपरी खर्चों के विभाजन या समायोजन का आधार लागत अभिलेखों में दर्शाया जाएगा। अभिलेख इस प्रकार रखे जाएंगे ताकि निर्माण कार्यों के विवरण, प्रशासन, विक्रय और वितरण ऊपरी खर्चों, मुख्यालय व्यय इत्यादि के विवरण दर्शाए जा सकें।

### 8. स्वामित्व और तकनीकी जानकारी फीस :

सहयोगियों या प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए करारों की शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के लिए किए गए आवर्ती या गैर आवर्ती भुगतान, यदि हो तो उसके सहित स्वामित्व तथा/या तकनीकी जानकारी फीस दर्शाने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। इस प्रकार के अभिलेख ऐसे प्रत्येक समझौते या व्यवस्था के संबंध में अलग-अलग रखे जाएंगे। एकमुश्त भुगतान और इसके शोधन सहित प्रत्येक राशि प्रभारित करने का आधार लागत अभिलेखों में दिया जाएगा।

### 9. अनुसंधान एवं विकास व्यय:

(1) कंपनी द्वारा इन नियमों के अंतर्गत शामिल होने वाली वस्तुओं/सेवाओं पर वस्तुओं/सेवाओं के विकास की प्रकृति के अनुसार—वर्तमान और नई, सुविधाओं का डिजायन और विकास तथा वर्तमान और नई वस्तुओं/सेवाओं के लिए बाजार अनुसंधान पर किए गए व्यय, यदि कोई हो के ब्यौरे दर्शाने वाला समुचित अभिलेख अलग से रखा जाएगा। इन अभिलेखों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए बाहरी पार्टियों को दिए गए भुगतान का भी उल्लेख किया जाएगा। एकमुश्त भुगतान और इसके शोधन सहित इस प्रकार की राशि प्रभारित करने का उल्लेख भी लागत अभिलेखों में किया जाएगा।

(2) निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं तथा अन्य वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन की लागत में इस व्यय को प्रभारित करने का आधार लागत अभिलेखों में दर्शाया जाएगा। यदि अनुसंधान एवं विकास कार्य की उपयोगिता एक से अधिक वित्तीय वर्ष तक रहती है तो निर्दिष्ट वस्तु/सेवाओं तथा अन्य सभी वस्तुओं/सेवाओं की लागत पर यह व्यय साम्य तर्कसंगत आधार पर किया जाएगा और इसकी उपयोगिता अवधि एक से अधिक वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने के आधार का मानदंड भी निरंतर लागू किया जाएगा।

(3) विदेशी मुद्रा और किसी सहायिकी, अनुदान, प्रोत्साहन, ऋण/वसूलियां, भुगतान की गई शास्ति और क्षति तथा कोई अन्य असामान्य व्यय पर खर्च किए गए व्यय और किसी संबंधित पक्षकार से प्राप्त या आपूर्ति किए गए संसाधनों के संबंध में समुचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(4) अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा बाहरी व्यक्तियों को दी गई प्रौद्योगिकी जानकारी के लिए किए गए व्यय का अभिलेख पृथक्: रखा जाएगा और इसमें निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं की लागत शामिल नहीं होगी। बाहरी व्यक्तियों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वसूल की गई राशि का भी अलग से उल्लेख किया जाएगा और निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय से पृथक् रखा जाएगा।

### 10. गुणवत्ता नियंत्रण:

निर्दिष्ट माल/सेवाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग या लागत केन्द्र/सेवा केन्द्र पर हुए व्ययों को दर्शाने के लिए उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे। यदि इन सेवाओं का उपयोग कंपनी की अन्य माल/सेवाओं के लिए किया गया है तो निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं और अन्य वस्तुओं/सेवाओं के मध्य उनके विभाजन का आधार समरूप और औचित्यपूर्ण होगा। संबंधित पक्ष से प्राप्त या आपूर्ति किए गए संसाधनों, विदेशी मुद्रा में व्यय की गई लागत और कोई सहायिकी, अनुदान, प्रोत्साहन, ऋण/वसूली, समायोजित न हुए ऊपरी शीर्ष किसी असामान्य अंश आदि का उपयुक्त अभिलेख रखा जाए।

### 11. चालू कार्य तथा तैयार स्टॉक:

चालू कार्य और तैयार माल के स्टॉक तथा परिदान के लिए तैयार या प्रक्रियाधीन सेवाओं की लागत के निर्धारण की उपयुक्त प्रणाली होगी और उसका उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा ताकि वह लागत अंश स्पष्ट हो जिसके आधार पर

उक्त गणना की गई है। निर्माणाधीन और तैयार स्टॉक की लागत की गणना करते समय माल सूची को वर्तमान स्थल पर लाने तथा परिस्थिति पर हुए सभी परिवर्तन व्ययों को ध्यान में रखा जाएगा। चालू और तैयार स्टॉक की लागत के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रणाली सतत रूप से अपनाई जाएंगी।

## 12. कैपिटल उपभोग:

यदि निर्दिष्ट माल/सेवाओं का प्रयोग सीमित उपभोग के लिए किया जाता है तो स्वतः खपत के लिए कंपनी के अन्य विभागों या लागत केन्द्रों या इकाइयों में स्थानांतरित या बाहरी पक्षों को बेची गई प्रत्येक उक्त माल/सेवा की मात्रा और लागत के उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे।

## 13. गौण उत्पाद:

निर्मित गौण उत्पाद की प्रत्येक मद यदि कोई हो तो, के उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे। जिनमें मात्रा और मूल्य दोनों की दृष्टि से आवृत्ति, निर्गम और बकाया दर्शाया जाएगा। संबंधित प्रक्रिया हेतु ऋण देने के लिए गौण उत्पाद के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार समरूप और सतत् होना चाहिए तथा उसका उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाना चाहिए। प्रक्रिया, यदि कोई है तो, पर हुए व्यय के साथ-साथ गौण उत्पाद की वास्तविक बिक्री वसूली के अभिलेख रखे जाए। ऋण/गौण उत्पादों की बिक्री से हुई वसूली के संबंध में उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे।

## 14. संयुक्त उत्पाद/सेवाएं:

जहां किसी प्रक्रिया से एक से अधिक उत्पाद/सेवा जिनका समान आर्थिक महत्व हो उद्भूत होती है, उसे संयुक्त उत्पाद/सेवाओं से अलग करने की सीमा तक लागत का प्रभाजन का आधार निरंतर, समरूप और औचित्यपूर्ण होना चाहिए। उक्त प्रक्रिया से तैयार विभिन्न उत्पादों/सेवाओं की संयुक्त लागत के प्रभाजन के आधार का उल्लेख का लागत अभिलेखों में किया जाए। संयुक्त उत्पाद/सेवाओं के निपटान के लिए ऋण/वसूलियों के संबंध में उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे।

## 15. पैकिंग व्यय:

घरेलू और निर्यात पैकिंग के उपयुक्त अभिलेख अलग-अलग रखे जाएंगे जिनमें मूल्यांकन का आधार दर्शाते हुए आरंभिक और/या द्वितीयक पैकिंग के लिए विभिन्न पैकिंग सामग्री की मात्रा और लागत तथा अन्य व्यय का उल्लेख किया जाएगा। जहां किए गए उक्त व्यय अन्य माल में भी वही हो, तो संगत माल के बीच व्यय के प्रभाजन का आधार निरंतर समरूप और औचित्यपूर्ण होना चाहिए। संबंधित पक्ष से प्राप्त या आपूर्ति की गई पैकिंग सामग्री, विदेशी मुद्रा में व्यय की गई लागत और कोई सहायिकी, अनुदान, प्रोत्साहन, ऋण/वसूली, समायोजित न हुए ऊपरी शीर्ष, शास्ति और क्षति, किसी असामान्य अंश आदि का उपयुक्त अभिलेख रखा जाएगा।

## 16. ब्याज तथा उधार लेने की अन्य लागत:

(1) प्रत्येक परियोजना और/या कार्यशील पूंजी के लिए उधार ली गई धनराशि और उस पर अधिरोपित ब्याज के उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे। निर्दिष्ट माल/सेवाओं तथा अन्य माल/सेवाओं के संबंध में निवल ब्याज की राशि और उधार लेने की अन्य लागतों का आबंटन या प्रभाजन समरूप और औचित्यपूर्ण आधार पर निरंतर किया जाएगा। उक्त माल/सेवाओं की विभिन्न किस्मों ब्याज के अंश को आगे प्रभारित करने का आधार भी समरूप और औचित्यपूर्ण आधार पर निरंतर किया जाएगा। इन आबंटनों या प्रभाजन के आधार पर स्पष्ट उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा।

(2) निर्माणाधीन परियोजना पर हुए निवल ब्याज और उधार की अन्य लागतों का उल्लेख, परियोजना के चालू होने की तारीख की अवधि तक किया जाएगा।

(3) संबंधित पक्ष को विदेशी मुद्रा में संदत्त/देय उक्त व्यय और प्राप्त/प्राप्ति योग्य सहायिकी, अनुदान, प्रोत्साहन और इसी प्रकार की कोई धनराशि, शास्ति ब्याज का भुगतान या संदत्त जुर्माना/क्षतियों के संबंध में उचित अभिलेख रखे जाएंगे।

(4) पूर्वावधियों के संबंध में किए गए तथा प्रत्यक्ष रूप से समायोजित उक्त व्ययों के संबंध में उचित अभिलेख रखे जाएंगे।

## 17. निर्यात पर व्यय या प्रोत्साहन:

(1) निर्दिष्ट माल/सेवाओं के निर्यात बिक्री पर हुए व्यय, यदि कोई है तो, के अलग-अलग उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे ताकि निर्यात बिक्री की सही लागत का निर्धारण किया जा सके। निर्यात किए गए माल/सेवाओं की अलग-अलग लागत विवरण तैयार किए जाएंगे जिनमें निर्यात पर हुए व्यय या अर्जित प्रोत्साहनों के ब्यौरे दिए जाएंगे।

(2) उपयुक्त अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें अनुज्ञप्ति वार वचनबद्ध निर्यात और 'इन वचनबद्धताओं' को पूरा करने, अनुपालन न करने पर उनके कारण, यदि कोई हो तो, के ब्यौरे दिए जाएंगे। उत्पाद फीस मुक्त आयात की दशा में लागत विवरणों में इस तथ्य को दर्शाया जाएगा। यदि वास्तविक उत्पादन के पश्चात् उत्पाद फीस मुक्त आयात किया गया है तो यह तथ्य भी विवरण में दर्शाया जाएगा।

**18. प्रदूषण नियंत्रण:**

(1) पर्यावरण के संरक्षण के लिए कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों जैसे बही:स्त्राव उपचार वायु, जल आदि के प्रदूषण पर नियंत्रण पर किए गए व्यय के उचित अभिलेख रखे जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण व्यय के आधार पर, कंपनी ने और बाहर से कराए गए इन कार्यों के अलग-अलग व्यय, संबंधित पक्षों को भुगतान की गई/भुगतान की जाने वाली प्रदूषण नियंत्रण लागत, विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय और कोई सहायिकी, अनुदान, प्रोत्साहन, ऋण/वसूली, ऐसी लागत/जुमाने और क्षति के लिए किया गया कोई असामान्य भुगतान और प्रदूषण नियंत्रण एंजेसी से प्राप्त/प्राप्ति योग्य किसी राशि से संबंधित अभिलेख।

**19. उत्पादन अभिलेख:**

सभी तैयार माल (पैकड या बिना पैकड)/ उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मात्रात्मक अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें निर्दिष्ट माल/सेवाओं की विभिन्न किस्म के उत्पादन, बिक्री के लिए निर्गम और बकाया दर्शाया जाए। स्वयं उत्पादित, तृतीय पक्ष द्वारा जॉब वर्क, ऋण अनुज्ञप्ति आधार आदि के लिए माल के उत्पादन/उपलब्ध कराई गई सेवाओं के मात्रात्मक अभिलेख रखे जाएंगे।

**20. बिक्री अभिलेख:**

नियंत्रित कीमतों पर घरेलू बिक्री, बाजार कीमत पर घरेलू बिक्री, अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन निर्यात बिक्री, अन्य बाध्यताओं के तहत निर्यात बिक्री, बाजार कीमत पर निर्यात बिक्री, संबंधित पक्ष/अंतः एकक अंतरण को बिक्री के संबंध में बिक्री के अलग-अलग ब्यौरे रखे जाए। नियंत्रित कीमतों पर घरेलू परिदान/बिक्री, बाजार कीमत पर घरेलू परिदान/बिक्री, अग्रिम अनुज्ञप्ति के तहत निर्यात परिदान/बिक्री, अन्य बाध्यताओं के तहत निर्यात परिदान/बिक्री, बाजार कीमत पर निर्यात परिदान/बिक्री, संबंधित पक्ष/अंतर यूनिट स्थानांतरण को परिदान/बिक्री की दशा में, उक्त ब्यौरे प्रत्येक संयंत्र/इकाई वार या सेवा केन्द्र वार कुल के साथ-साथ प्रति एकक वसूली के लिए अलग-अलग रखे जाएंगे।

**21. लागत की कोई अन्य मद:**

लागत की किसी अन्य मद, जिसे लागत अभिलेखों में शामिल करने के लिए अपरिहार्य और आवश्यक समझा जाए, के उपयुक्त अभिलेख निर्दिष्ट माल/सेवाओं के कुल और प्रति इकाई लाभ, बिक्री की लागत, माल के उत्पादन/सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत की गणना के लिए रखे जाएंगे।

**22. लागत में अंतर का समायोजन:**

जहां कंपनी वास्तविक से भिन्न मानक लागत के स्थान पर किसी और आधार पर लागत अभिलेख रखती है तो अभिलेखों में उक्त प्रणाली के अधीन माल/सेवाओं की लागत की गणना के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया जाएगा। अलग-अलग शीर्षों के सामने लागत अंतर दर्शाया जाएगा और सामग्री, श्रम, उपरी शीर्ष के तहत विश्लेषित किया जाएगा और उसे मात्रा, कीमत और कार्यदक्षता अंत में आगे बांटा जाए। माल/सेवाओं की वास्तविक लागत के निर्धारण के लिए लागत अंतर के समायोजन के लिए अपनाई गई प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाएगा। अंतर के कारणों का उचित स्पष्टीकरण लागत अभिलेखों और विवरणों में दिया जाएगा।

**23. लागत विवरण:**

(1) निर्दिष्ट प्रत्येक माल/सेवा के संबंध में मात्रात्मक सूचना दर्शाते हुए लागत विवरण (तिमाही और वार्षिक) तैयार किए जाएंगे जिनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान उपलब्ध क्षमता के ब्यौरे, वास्तविक उत्पादन, उत्पाद फीस अभिलेखों के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग (इन-हाउस), व्यापार के लिए खरीदा गया स्टॉक, स्टॉक और अन्य समायोजन, बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा, अपव्यय और वार्षिक बिक्री आदि दर्शायी जाएं।

(2) इन विवरणों में लागत की सभी प्रमुख मदों जिनमें माल/सेवाओं के उत्पादन की लागत, माल/सेवाओं की बिक्री की लागत और कुल के साथ-साथ माल/सेवाओं की प्रति यूनिट अतिरिक्त मार्जिन शामिल है, से संबंधित ब्यौरे भी शामिल किए जाएंगे। किसी प्रक्रिया से तैयार होने वाली माल/सेवा जोकि बाद की प्रक्रिया में कच्चे माल या आदान सामग्री/सेवा का रूप लेती है, का मूल्य पिछले चरण तक उत्पादन/सेवा की लागत के आधार पर लगाया जाएगा।

(3) अप्रत्यक्ष करों के समायोजन के संबंध में लागत विवरणों (तिमाही और वार्षिक) में माल/सेवाओं की कुल निकासी, मूल्यांकन योग्य मूल्य, भुगतान किया गया फीस/कर केन्द्रीय वेट/वेट/उपयोग किया गया सेवा कर प्रत्यय, वसूल किए गए फीस/कर तथा भुगतान किया गया ब्याज/शास्ति के ब्यौरे दर्शाए जाएं।

(4) यदि कंपनी एक से अधिक संयंत्र, कारखाना या सेवा केन्द्र चला रही है तो प्रत्येक संयंत्र, कारखाना या सेवा केन्द्र के संबंध में उपर निर्दिष्ट अनुसार अलग-अलग लागत विवरण तैयार किए जाएं।

(5) कंपनी द्वारा उत्पादित माल/सेवाओं की लागत और लाभ की उपयुक्त प्रस्तुति के लिए आवश्यक समझे जाने पर अन्य विवरण/सूचना भी तैयार किया जाएगा।

**24. लागत और वित्तीय लेखों का समायोजन:**

(1) लागत विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणों से समायोजित होने चाहिए और उनमें स्पष्ट रूप से ऐसे व्यय या आय का उल्लेख होना चाहिए जिन पर लागत अभिलेखों या विवरणों में विचार नहीं किया गया है ताकि उनका सटीक होना सुनिश्चित किया जा सके और निर्दिष्ट माल/सेवाओं के लाभ का समायोजन कंपनी के समग्र लाभ से हो सके। अंतर यदि कोई हो तो, का स्पष्ट उल्लेख किया जाए और स्पष्टीकरण दिया जाए।

(2) एक विवरण तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत कंपनी को प्राप्त कुल आय और हुए व्यय तथा निर्दिष्ट माल/सेवाओं और अन्य माल/सेवाओं पर लागू शेयर को दर्शाया जाएगा जो वित्तीय विवरण से समायोजित होता हो।

**25. सांख्यिकीय अभिलेख:**

(1) निर्दिष्ट माल के उत्पादन/सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विभिन्न उत्पादन विभागों में उपलब्ध मशीन घंटे या प्रत्यक्ष मजदूरी घंटे तथा उनके वास्तविक उपयोग तथा उनमें कमी के उपयुक्त विश्लेषण के बारे में अभिलेख रखे जाएंगे। मशीन और/थ्रम के निष्क्रिय रहने के घंटों की गणना का उपयुक्त अभिलेख रखा जाए और विश्लेषण किया जाएगा।

(2) उपयुक्त अभिलेख इस दृष्टि से रखे जाएंगे कि कंपनी निर्दिष्ट माल और सेवाओं तथा अन्य माल और सेवाओं के उत्पादन/सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगाई गई पूंजी, निवल अचल आस्तियों और चालू पूंजी को अलग-अलग चिन्हित कर सके। चिन्हित न की जा सकने वाली मदों का आबंटन अलग-अलग माल/सेवाओं के लिए उपयुक्त और औचित्यपूर्ण ढंग से किया जाए। निर्दिष्ट माल के उत्पादन/सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अचल संपत्तियों पर किए गए ऐसे नये निवेश जिनका संगत अवधि/वर्ष के दौरान माल के उत्पादन/सेवाएं उपलब्ध कराने में योगदान नहीं है, का उल्लेख लागत अभिलेखों में किया जाए। इसके अलावा, अभिलेखों में, प्रतिस्थापन के रूप में और मौजूदा क्षमता बढ़ाने के लिए लाई गई आस्तियों को दर्शाया जाएगा।

**26. भौतिक सत्यापन के अभिलेख:**

स्टॉक में रखी सभी मदों जैसे कि कच्चे माल, प्रक्रियाधीन सामग्री, पैकिंग सामग्री, उपभोज्य भंडारण, मशीनरी के अतिरिक्त कल-पूर्जे, रसायन, ईंधन, तैयार माल और अचल आस्तियों आदि के संबंध में भौतिक सत्यापन के अभिलेख रखे जाएंगे। इन सत्यापनों के फलस्वरूप कमी/अतिरिक्त मदों के कारणों तथा माल/सेवाओं की लागत में उनके समायोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली का उल्लेख अभिलेखों में किया जाएगा।

**27. संबंधित पक्षकार लेन-देन:**

(1) कंपनी द्वारा किसी ऐसी कंपनी को जिसे "संबंधित पक्षकार संबंध" कहा गया है और विलोमतः स्थिति में, संबंधित पक्ष लेन-देन या की गई आपूर्ति या उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें निम्नलिखित के संबंध में किए गए करार, अनुबंधों या समझौतों को दर्शाया जाएगा:-

(क) कच्चे माल की खरीद और बिक्री, तैयार माल, सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रक्रियाधीन सामग्री और कतरन समेत रद्द किया गया माल;

(ख) संयंत्र - सुविधाओं तथा तकनीकी जानकारी का उपयोग;

(ग) जनसुविधाओं और अन्य सेवाओं की आपूर्ति;

(घ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबंधकीय या कोई अन्य परामर्शदात्री सेवाएं;

(ङ) संयंत्र और मशीनरी समेत पूंजीगत माल की खरीद और बिक्री; और

(च) निर्दिष्ट माल के उत्पादन/सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई अन्य भुगतान

(2) इन अभिलेखों में उस आधार पर भी उल्लेख किया जाए जिसके आधार पर इन माल या सेवाओं के लिए दरें तय की गई या भुगतान किया गया ताकि इन दरों, जहां तक वे निर्दिष्ट माल और सेवाओं से संबंधित हैं, के बारे में इन दरों के औचित्य का निर्धारण किया जा सकता है।

प्ररूप सं. सीआरए-2

[नियम 6(2) के अनुसरण में]

कंपनी, भारत सरकार द्वारा लागत लेखा परीक्षक के नियुक्ति की सूचना का प्ररूप

**टिप्पण-\*** चिन्ह दिए हुए सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य है।

1. (क) \*कंपनी की कारपोरेट परिचय संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन).....

- (ख) कंपनी की सार्वभौम स्थिति संख्या (जीएलएन).....
2. (क) कंपनी का नाम.....
- (ख) पंजीकृत कार्यालय का पता या भारत में कंपनी के व्यापार के प्रधान स्थान पता.....
- (ग) \*कंपनी की ई-मेल आईडी.....
3. लागत लेखा से संबंधित सामान/या सेवाएं .....
4. **नियुक्त लागत-लेखा परीक्षण का विवरण**
- (क) बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त हुआ लागत-लेखा परीक्षक के स्वामित्व का नाम साझेदारी फर्म या एलएलपी.....
- (ख) (i) \*पता पंक्ति I.....
- पंक्ति II.....
- (ii) शहर.....
- (iii) राज्य.....
- (iv) देश.....
- (v) पिन कोड.....
- (ग) \*फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का विवरण
- (i) नाम.....
- (ii) सदस्यता संख्या.....
- (घ) फर्म या सदस्य की ई-मेल आईडी.....
5. लागत लेखा के अंतर्गत आवृत वित्तीय वर्ष
- (क) \*से.....(तारीख/माह/वर्ष)
- (ख) \*तक.....(तारीख/माह/वर्ष)
6. \* निदेशक बोर्ड द्वारा लागत-लेखा परीक्षक को नियुक्त करने के लिए हुई बैठक की तिथि..... (तारीख/माह/वर्ष)
7. (क)\*क्या लागत-लेखा परीक्षक का बदलाव हुआ है \*हां \*नहीं
- (ख)\* यदि हां तो पिछले लेखा-परीक्षक का नाम तथा उनका पता.....
- (ग) लेखा-परीक्षक के बदलाव की वजह.....
- (घ) क्या पिछले लेखा-परीक्षक को बदलाव की सूचना मिली है \*हां \*नहीं

### संलग्नक

- \* कंपनी के बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति
- एच्छिक संलग्नक- यदि हो तो

### संलग्नक की सूची

### सत्यापन

मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दी गई सूचना एवं उनके संलग्नक संपूर्ण एवं सही है।

- मुझे 'निदेशक बोर्ड' प्रस्तावना सं.....दिनांक.....(तारीख/माह/वर्ष) इस सूचना को पेश करने तथा इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- मैं इस सूचना को पेश करने तथा इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं।

**डिजीटल हस्ताक्षर हेतु**

इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी या अधिकारी (भारतीय कंपनी) या प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी की दशा में).....

\*पदनाम.....

\*प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रबंधक या प्रबंधन निदेशक या निदेशक की प्रतिनिधि .....

**प्ररूप सीआरए-3**  
**(नियम 6(4) के अनुसरण में)**  
**लागत लेखा रिपोर्ट का प्ररूप**

मैं/हम.....कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 148 (3) के अधीन. (कंपनी का नाम) ..... जिसका पंजीकृत कार्यालय .....(कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते का उल्लेख करें) (जिसे एतदपश्चात् कंपनी कहा गया है) के लागत लेखापरीक्षक नियुक्त होने के बाद अवधि/वर्ष..... (वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें) के लिए उक्त अधिनियम की धारा 148 के तहत आने वाले लेखा बहियों तथा ..... (वस्तुओं/सेवाओं के नाम का उल्लेख करें) के संबंध में कंपनी द्वारा रखे गए अन्य संगत अभिलेखों की लेखा-परीक्षा की है पैरा 2 में उल्लिखित मेरी/ हमारी समुक्तियों तथा सुझावों के अलावा रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं।

- (i) मुझे/हमें मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य सूचना और विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं जो कि इस लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
  - (ii) मेरे/हमारे मतानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार निर्दिष्ट वस्तुओं/ सेवाओं के विषय में कंपनी द्वारा उचित लागत अभिलेख तैयार नहीं किया गया।
  - (iii) मेरे/हमारे मतानुसार मेरे/हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं की गई शाखाओं से लागत लेखापरीक्षा के उद्देश्य से लिए वास्तविक उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।
  - (iv) मेरे/हमारे मतानुसार और मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त पुस्तक और अभिलेख कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित ढंग से देती/नहीं देती हैं।
  - (v) मेरे/हमारे मतानुसार कंपनी में लागत रिकॉर्ड्स की आंतरिक लेखापरीक्षा की उचित प्रणाली है नहीं है, जो मेरे/हमारे मतानुसार अपने व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुरूप है।
  - (vi) मेरे/हमारे मतानुसार इस लागत रिपोर्ट के अनुलग्नक में दी गई सूचना व विवरण वस्तु (वस्तुओं) के उत्पादन/सेवा (सेवाओं) के सर्म्पण बिक्री की लागत, मार्जिन और निर्दिष्ट वस्तु (वस्तुओं)/ सेवा (सेवाओं) से संबंधित अन्य सूचना सत्य और सही सूचना देते /नहीं देते हैं।
2. लागत लेखापरीक्षा से संबंधित लागत लेखापरीक्षक की जांच और सुझाव, यदि कोई हो तो।  
दिनांक दिन...../माह...../वर्ष  
स्थान (इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का स्थान).....

लागत लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों)  
का हस्ताक्षर और मुहर  
सदस्यता संख्या

**टिप्पणियां**

- (1) ऐसे शब्दों को मिटाये जो लागू नहीं है।

- (2) लेखा बहियों की जांच के परिणास्वरूप यदि लेखा परीक्षक किसी तथ्यात्मक कमी की ओर ध्यान आकर्षित करना या सशर्त रिपोर्ट देना चाहता है तो पायी गई विसंगति का विवरण देते हुए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निर्धारित प्ररूप में संबंधित पैरा (i) से (vi) के सामने लिखें।
- (3) लागत लेखापरीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट, सुझाव, जांच और निष्कर्ष सत्यापित आंकड़ों पर आधारित होगी। इसका संदर्भ यहां दिया जाएगा और जहां संभव हो वहां कंपनी को उन पर टिप्पणी करने का अवसर मिलने के बाद शामिल किया जाएगा।

### लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

#### 1. सामान्य सूचना

1. कंपनी का सीआईएन या जीएलएन:
2. कंपनी का नाम:
3. पंजीकृत कार्यालय का पता:
4. कारपोरेट कार्यालय का पता:
5. कंपनी का ई-मेल पता:
6. कंपनी के लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित वित्त वर्ष:
7. लागत लेखापरीक्षक (कों) का नाम, पता, सदस्यता संख्या और ई-मेल:
8. केन्द्र सरकार को लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सूचना के लिए फाइल किए गए फर्म की एसआरएन संख्या और तारीख:
9. निर्दिष्ट माल के वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा(सेवाओं) की अदायगी के प्रारंभ होने की तारीख:
10. लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक को अनुमोदित करने वाली निदेशक बोर्ड की बैठक की तारीख:
11. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा आयोजित और लागत लेखापरीक्षक द्वारा भाग लिए गए लेखापरीक्षा समिति बैठकों की संख्या:
12. यदि निर्दिष्ट माल (मालों)/सेवा (सेवाओं) के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग है तो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएं:-
  - (क) विदेशी सहयोगी का नाम और पता;
  - (ख) समझौते की मुख्य शर्तें;
  - (ग) रॉयल्टी की राशि, कुल अदायगी, देय तकनीकी सहायता फीस और उसकी गणना का आधार;
  - (घ) क्या तकनीकी सहयोगी ने शेयरपूंजी में अंशदान किया है। यदि हां, तो इस प्रकार धारित प्रदत्त शेयरपूंजी।

#### 2. लागत लेखांकन नीति

(1) कंपनी द्वारा अपनाई गई लागत लेखांकन नीति का संक्षिप्त विवरण दें और निर्दिष्ट प्रत्येक माल (मालों)/सेवा (सेवाओं) के लिए अलग-अलग उत्पादन/प्रचालन लागत, बिक्री लागत, बिक्री प्राप्तियां और मार्जिन को सही-सही निर्धारित करने के लिए इसकी उपयुक्तता या अनुपयुक्तता बताएं:

- (क) लागत केन्द्र/लागत लक्ष्य और लागत प्रेरक की पहचान
- (ख) पैकिंग सामग्री, भंडार और स्पेयर्स आदि सहित लागत सामग्री, कर्मचारी लागत, उपयोगी वस्तुएं और अन्य सुसंगत लागत अवयव के लिए लेखांकन
- (ग) सिरोपरि लेखांकन, आवंटन और सामामेलन
- (घ) अवक्षयण/ऋणपरिशोधन के लिए लेखांकन
- (ङ) सह-उत्पाद/सहयुक्त-उत्पाद या सेवाओं, स्क्रेप, रद्दी आदि के लिए लेखांकन
- (च) वस्तुसूची मूल्यांकन का आधार
- (छ) अंतर-इकाई/अंतर कंपनी और संबंधित पक्ष लेन-देन के मूल्यांकन का तरीका



(ज) अन्य गैर-लागत मदों के वर्गीकरण सहित असामान्य और गैर आवर्ती लागतों का समाधान

(झ) कंपनी द्वारा अपनाई गई अन्य संगत लागत लेखांकन नीति

(2) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में लेखापरीक्षा के अंतर्गत वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) के लिए लागत लेखा-नीति में किए गए परिवर्तनों यदि कोई हो तो का संक्षिप्त ब्यौरा दें, ।

(3) कंपनी द्वारा अनुपालित बजट नियंत्रण प्रणाली में कमी या अन्यथा लेने संबंधी लागत लेखापरीक्षक की टिप्पणियां, यदि कोई हैं तो

### 3. वस्तु (वस्तुओं) की निर्माण/ सेवा (सेवाओं) की वितरण प्रणाली:

वस्तु (वस्तुओं) के निर्माण/सेवा (सेवाओं) के विवरण में शामिल वस्तु (वस्तुओं) के निर्माण/सेवा (सेवाओं) के उपबंध, उपयोगिता और उत्पादन सेवा विभाग को सम्मिलित करने वाले प्रवाह चार्ट के साथ वस्तु (वस्तुओं) के निर्माण/सेवा (सेवाओं) के विवरण की प्रणाली से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी।

### 4. उत्पाद समूह का ब्यौरा (समग्र कंपनी के लिए)

क्र. सं.	प्रत्येक वस्तु (वस्तुओं) सेवा (सेवाओं) का नाम	निवल विक्रय (करों, शुल्कों आदि का निवल	लागत लेखा परीक्षा में शामिल (हां/नहीं)
क	वस्तुओं का उत्पादन		
	1.		
	2.		
	3.		
	उप जोड़ (क)		
ख	सेवाएं		
	1.		
	2.		
	3.		
	उप-जोड़ (ख)		
ग	व्यापार कार्यकलाप		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	उप जोड़ (ग)		
घ	अन्य आय		
	लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कुल आय (क +ख +ग + घ)		

### 5. प्रत्येक वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) के लिए अलग-अलग मात्रात्मक सूचना

वस्तु (वस्तुओं) /सेवा (सेवाओं) के नाम			
वित्त वर्ष	_____ से _____ तक		
	इकाई	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. उपलब्ध क्षमता			
(क) स्थापित क्षमता			

(ख) वर्ष के दौरान संवर्धित क्षमता, यदि कोई हो			
(ग) पट्टा व्यवस्था यदि कोई हो के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(घ) ऋण अनुज्ञप्ति/तीसरे पक्षकारों के जरिए उपलब्ध क्षमता			
(ङ) कुल उपलब्ध क्षमता			
<b>2. वास्तविक उत्पादन/ प्रदत्त सेवाएं</b>			
(क) स्वतः विनिर्मित/प्रदत्त			
(ख) पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित/आउटसोर्स की गई			
(ग) ऋण अनुज्ञप्ति/तीसरे पक्षकारों द्वारा जाँव कार्य/आउटसोर्सिंग एजेंसी			
(घ) कुल उत्पादन/प्रदत्त सेवाएं			
<b>3. उत्पाद फीस अभिलेखों/सेवा कर अभिलेखों के अनुसार उत्पादन/ प्रदत्त सेवाएं</b>			
<b>4. क्षमता उपयोग (इन हाउस)</b>			
<b>5. व्यापार हेतु खरीदा गया स्टॉक/ली गई सेवाएं</b>			
(क) घरेलू खरीद/सेवाएं लेना			
(ख) आयात			
(ग) कुल खरीद/ली गई सेवाएं			
<b>6. स्टॉक एवं अन्य समायोजन</b>			
(क) तैयार वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन/ निर्गामी सेवाओं का मूल्य			
(ख) स्वतः/आबद्ध खपत/आंतरिक सेवाएं (नमूना आदि सहित)			
(ग) अन्य मात्रात्मक समायोजन यदि कोई हो (क्षति आदि)			
(घ) कुल समायोजन			
<b>7. बिक्री के लिए कुल उपलब्ध मात्रा प्रदत्त सेवाएं [2 (घ)+5(ग)-6 (घ)]</b>			
<b>8. वास्तविक विक्रय</b>			
(क) घरेलू विक्रय (वस्तुएं/सेवाएं)			
(ख) घरेलू विक्रय (व्यापार)			
(ग) निर्यात विक्रय (वस्तुएं/सेवाएं)			
(घ) निर्यात विक्रय (व्यापार)			
(ङ) विक्रय की गई कुल मात्रा प्रदत्त सेवाएं			

**टिप्पणी:**

1. यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या संस्थापित क्षमता एकल-पारी या बहु-पारी आधारित है।
2. उत्पादन और संस्थापित क्षमता की एक सार्थक तुलना के लिए जहां आवश्यक हो, वहां ये विवरण उचित इकाइयों में व्यक्त किए जाने चाहिए।

**6. निर्दिष्ट वस्तु (वस्तुओं) के विनिर्माण/प्रदत्त सेवा (सेवाओं) के प्रयोग के लिए वृहत निवेश सामग्रियों/सेवाओं का विवरण:**

विवरण	इकाई	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		मात्रा	मूल्य	राशि	मात्रा	मूल्य	राशि
1. स्वदेशी: (उल्लेख करें)							
(क)							
(ख)							
(ग) इत्यादि							
2. स्व-विनिर्मित (उल्लेख करें)							
(क)							
(ख)							
(ग) इत्यादि							
3. आयातित (उल्लेख करें)							
(क)							
(ख)							
(ग) इत्यादि							
4. कुल							

टिप्पणी: विवरण वृहत निवेश सामग्री (सामग्रियों) (उपकरणों) /सेवा (सेवाओं), जिनमें प्रत्येक में कुल कच्चे माल का न्यूनतम 5% है, के अनुसार दिया जाना चाहिए।

**6(क) प्रति इकाई निवेश उपकरण सामग्री (सामग्रियों) (सेवाओं) का मानक/वास्तविक उपभोग:**

विवरण (उल्लेख करें)	इकाई	मानक		वास्तविक	
		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1.					
2.					
3. इत्यादि					

टिप्पणी: विवरण वृहत निवेश सामग्री (सामग्रियों) /सेवा (सेवाओं), जिनमें प्रत्येक में कुल कच्चे माल/ निवेश सेवा लागत का न्यूनतम 5% है, के अनुसार दिया जाना चाहिए।

**6.(ख) वर्ष के दौरान निवेश सामग्री (सामग्रियों) सेवा (सेवाओं) की लागत का ब्यौरा:**

विवरण	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
-------	-----------	-----------------







3. स्टाफ क्वार्टर और कालोनी										
4. अन्य (उल्लेख करें)										
5. कुल राशि										
6. वर्ष के दौरान पूंजीकृत/विलंबित राशि										
7. निवल राशि (5-6)										
8. पूर्ववर्ती वर्षों की विलंबित राशि, यदि कोई हो										
<b>9. कुल राशि (7+8)</b>										

**10. सकल अचल आस्तियां और अवमूल्यन: (समग्र कंपनी के लिए)**

विवरण	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. निवल अचल आस्तियां		
2. वित्तीय अभिलेख में उपलब्ध अवक्षयण की राशि		
3. अवक्षयण का तरीका		
4. लागत अभिलेख में समायोजित अवक्षयण की राशि		
5. कमी/अधिकता, यदि कोई हो		

टिप्पणी: संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन, यदि कोई हो तो, का प्रभाव शामिल नहीं किया जाएगा।

**11. निवल ब्लाक, अवक्षयण और पट्टे का किराया: (शामिल वस्तु (वस्तुएं)/ सेवा (सेवाएं) के लिए)**

विवरण	वर्ष के अंत तक निवल अचल आस्तियां (क)	वर्ष के लिए अवक्षयण (ख)	चुकाया गया पट्टे का किराया, यदि कोई हो (ग)	कुल (ख+ग)	वस्तुओं/सेवाओं का विभाजन				विभाजन का आधार
					क	ख	ग	घ...इत्यादि	
वस्तु(वस्तुओं)/ सेवा (सेवाओं) के बड़े लागत केन्द्रों के नाम: (उल्लेख करें)									
क									
ख....इत्यादि									
कुल									

टिप्पणी: पट्टे पर दी गई आस्तियों के निवल ब्लाक के अतिरिक्त, यदि कोई हो।

## 12. ऊपरी खर्च

विवरण	समग्र कंपनी के लिए			उत्पादित वस्तु (वस्तुओं)/प्रदत्त सेवा (सेवाएं) का हिस्सा (एक से अधिक वस्तु वस्तुओं)/ सेवा (सेवाएं) हो तो अतिरिक्त कोलम जोड़े जा सके हैं।						संदर्भधीन वस्तु (वस्तुओं)/ सेवा (सेवाओं)के विभाजन के आधार पर
	मात्रा	मूल्य	राशि	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष			
फैक्ट्री ऊपरी खर्च (उल्लेख) क. ख.....इत्यादि										
प्रशासन ऊपरी खर्च (उल्लेख) क. ख.....इत्यादि										
विक्रय ऊपरी खर्च (उल्लेख करें) क. ख.....इत्यादि										
वितरण ऊपरी खर्च (उल्लेख करें) क. ख.....इत्यादि										

नोट: प्रत्येक शीर्ष के अधीन ब्रेक-अप प्रत्येक शीर्ष के अधीन शिरोपरि लागत के न्यूनतम 90% प्रमुख मुद्दों के संबंध में दिया जाए।

## 13. अनुसंधान एवं विकास व्यय

विवरण	वर्तमान वर्ष (समग्र रूप में कंपनी के लिए)	उत्पाद/आर्हत सेवाओं का अंश			संविभाजन का आधार
		क	ख	ग इत्यादि	
1. प्रकम विकास एवं सुधार					
2. मौजूदा उत्पाद/सेवा/सेवा विकास					
3. नये उत्पाद/सेवा/विकास					
4. अन्य, यदि कोई हों					



5. कुल राशि					
6. पूंजीकृत राशि/वर्ष के दौरान आस्थागित, यदि कोई हो					
7. वास्तविक राशि (5-6)					
8. पिछले वर्षों की आस्थागित					
9. लागत अभिलेखों में उपलब्ध कुल राशि					
10. संबंधित पार्टियों को भुगतान की हुई राशि					

**14. रॉयल्टी तथा तकनीकी जानकारी प्रभार**

विवरण	समग्र रूप में कंपनी के लिए	उत्पाद/आर्हत सेवाओं का अंश			संविभाजन का आधार
		क	ख	ग इत्यादि	
1. उत्पादन/विक्रय/सेवाओं के उपबंधों की रॉयल्टी					
2. रॉयल्टी की एममुशत भुगतान, यदि कोई हो					
3. तकनीकी जानकारी प्रभार					
4. अन्य यदि कोई हो					
5. कुल राशि					
6. पूंजीकृत राशि/वर्ष के दौरान आस्थागित					
7. वास्तविक राशि (5-6)					
8. पिछले वर्षों की आस्थागित राशि यदि कोई हो					
9. वित्तीय लेखा में उपलब्ध राशि (7+8)					
10. लागत अभिलेखों में अंतर्लीन राशि					
11. न्यूनता/अधिकता यदि कोई हो					
12. संबंधित पार्टियों को भुगतान की हुई राशि					

**टिप्पणी: प्रत्येक करार के संबंध में ब्यौरे अलग-अलग दिए जाएं**

**15. असामान्य/अनावर्ती लागत**

विवरण (उल्लेख करें)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1.		
2.		
3.....इत्यादि		
.....		
कुल		

**16. अचल स्टॉक समान (माल के हिसाब से/सेवा के हिसाब से समानों का विवरण दिया जा सकता है)**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(क) माल/सेवाएं (विशेष रूप से उल्लेख करें)		
1.		
2.		
3.....इत्यादि		
(ख) माल/सेवाएं विशेष रूप से उल्लेख करें		
1.		
2.		
3....इत्यादि		
(ग) माल/सेवाएं (विशेष रूप से उल्लेख करें)		
1.		
2.		
3...इत्यादि		

**17. बट्टे खाते में स्टॉक/ज़ब्त सेवाएं ((माल के हिसाब से/सेवा के हिसाब से विवरण दिया जा सकता है।))**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(क) माल/सेवाएं (विशेष रूप से उल्लेख करें)		
1.		
2.		
3.....इत्यादि		
(ख) माल/सेवाएं विशेष रूप से उल्लेख करें		
1.		
2.		
3....इत्यादि		

**18. माल सूची मूल्यांकन (वर्ष के अंत में)**

विवरण	मूल्यांकन का आधार	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
		मात्रा	मूल्य	राशि	मात्रा	मूल्य	राशि
1. निविष्ट सामग्री:							
(i) क्रय की गई							
-देशी							
-आयातित							
(ii) स्वनिर्मित							
2. रसायन, योगात्मक एवं उपभोज्य							

3. अतिरिक्त एवं भंडार							
4. पैकिंग सामग्री							
5. उपकरण एवं कार्यान्वयन तथा डाइस, डाईस एवं फिक्सचर							
6. कार्य चालू है: (i) सामग्री लागत (ii) संपरिवर्तन लागत (विवरण दें)							
7. तैयार माल i) पैक किए गए ii) पैक किए गए हुआ							
8. रद्दी/छीजन							
9. अन्य, यदि कोई हो							
10. लागत लेखा के अनुसार माल-सूची का कुल मूल्य							
11. वित्तीय लेखा के अनुसार कुल मूल्य							
12. अंतर, यदि हो तो, के कारण, यदि कोई हो							

**टिप्पणी:**

- (1) मद क्रम संख्या 1 तथा 6 के संदर्भ में मुख्य निविष्टि सामग्री जोकि कुल सामग्री लागत की अंततः 5% हो, प्रस्तुत किए जाएगा।
- (2) माल-सूची प्रणाली जिसमें तत्वों में सम्मिलित लागत का संकेत हो, की विधि का संक्षिप्त विवरण।
- (3) चालू पूंजीगत कार्य को अलग से दर्शाया जाए

**19. विक्रय/आवृत्त सेवाओं तथा समानों का राजस्व:**

विवरण	वर्तमान वर्ष			पूर्व वर्ष		
	परिमाण	दर	राशि (रु.)	परिमाण	दर	राशि (रु.)
1. क्रय की गई वस्तुएं आउटसोर्स की गई (उल्लेख करें) (क)						



टिप्पण: प्रत्येक क्रय/विक्रय का विवरण अलग दिया जाए

**22. निर्दिष्ट वस्तुओं/सेवाओं के लिए केंद्रीय उत्पाद-फीस/सेवा कर समाधान**

क्र. सं.	विवरण	सामान/सेवाएं		
		क	ख	ग
<b>क)</b>	<b>परिमाणित विवरण</b>			
1.	प्रारंभिक स्टॉक			
2.	जोड़ें: उत्पादन/सेवाएं			
3.	घटाएं अधशेष स्टॉक			
4.	कुल विक्रय/निकासी			

क्र. सं.	विवरण	निर्धारण मूल्य (रुपए)	फीस	फीस राशि (रुपए)
<b>ख)</b>	<b>निकासी के विवरण</b>			
1.	घटाएं फीस रहित निकासी			
2.	उत्पादक/सेवा कर योग्य निकासी			
3.	शास्ति/जुर्माना/देय व्याज यदि कोई हो			
4.	कुल देय फीस (कुल 3 एवं 4)			

क्र. सं.	विवरण	निविष्टि	पूँजीगत समान	कुल
<b>ग)</b>	<b>सीईएनपीएटी ऋण का सार</b>			
1.	प्रारंभिक स्टॉक			
2.	जोड़ें वर्ष के दौरान उपयोग की हुई			
3.	जोड़ें वर्ष के दौरान वापस की हुई			
4.	घटाएं: उत्पाद/सेवा कर अभिलेख के अनुसार अंत शेष			
5.	वर्ष के दौरान उपयोग किए हुए कुल सीईएनपीएटी ऋण (1+2+3+4)			
6.	वार्षिक लेखा के अनुसार अधशेष			
7.	4-6 के बीच अंतर			
8.	(राशि में अंतर के कारण बताएं)			

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए)
<b>घ)</b>	<b>फीस भुगतान समाधान</b>	
1.	'ख' के अनुसार देय उत्पाद फीस	
2.	भुगतान की हुई कुल उत्पाद फीस (क) सीईएन वैट लेख (निविष्टि समान/सेवाएं) (ख) सीईएनवैट लेखा (पूँजी सामान)	

	(ग) पी.एल का कुल (क+ख+ग)	
3.	(1-2) के बीच अंतर	
4.	(राशि में अंतर की राशि व कारण बताएं)	
5.	आर टी-12 के अनुसार उत्पाद फीस	
6.	(2-5) के बीच अंतर	
7.	अंतर की राशि व कारण	
<b>इ)</b>	<b>प्रदत्त एवं वसूली किए गए फीस का समाधान</b>	
1.	पी एंड एल लेखा के अनुसार भुगतान किया गया उत्पाद फीस	
2.	पीएंडएल लेखा के अनुसार वसूल किया गया उत्पाद फीस	
3.	भुगतान एवं वसूल किए गए फीस के बीच अंतर	
4.	अंतर की राशि तथा कारण	
<b>च)</b>	<b>कारोबार का समाधान</b>	
1.	उत्पाद/एस टी अभिलेख के अनुसार कारोबार	
2.	वार्षिक लेखा के अनुसार कारोबार (निवल फीस एवं कर)	
3.	(1-2) के बीच अंतर	
4.	अंतर की राशि और कारण	

**23. लाभ समाधान:**

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	लागत लेखा अभिलेख के अनुसार लाभ या हानि		
2.	जोड़े लागत लेखा में विचार न की गई आय (क) विशेष रूप से उल्लेख करें (ख)		
3.	घटाए: लागत लेखा में विचार न किया गया व्यय (क) (उल्लेख करें) (ख)		
4.	जोड़े: वित्तीय लेखा की अंतिम स्टॉक का अधिमूल्यन		
5.	जोड़े: वित्तीय लेखा उदघाटन स्टॉक का अवक्षयण		
6.	घटाएं : वित्तीय लेखा की अंतिम स्टॉक का अवमूल्यांकन		
7.	घटाएं : वित्तीय लेखा के उद्घाटन स्टॉक का अधिमूल्यन		
8.	अन्यों के लिए समायोजन, यदि कोई हो (उल्लेख करें)		
9.	वित्तीय लेखा के अनुसार लाभ या हानि		

**24. लागत विवरण (प्रत्येक वस्तु/सेवाओं के लिए अलग से)**

क्र.सं	विवरण	परिमाण	प्रति इकाई दर	राशि	प्रति इकाई लागत	
					इकाई	(रु.)
1.	उपयोगिता: 1. क्रय की हुई (क) देशी (उल्लेख करें) (ख) आयातित (उल्लेख करें) 2. स्वनिर्मित (उल्लेख करें)					
2.	प्रक्रम रसायन (उल्लेख करें)					
3.	उपयोगिता: (क) क्रय की हुई (ख) देशी (उल्लेख करें) (ग) आयातित (उल्लेख करें) 2. स्वनिर्मित (उल्लेख करें)					
4.	प्रत्यक्ष मजदूरी/ वेतन					
5.	उपभोज्य भंडार एवं अतिरिक्त					
6.	अवक्षयण					
7.	आउटसोर्स सेवा लागत					
8.	मध्यवर्ती सेवा लागत					
9.	किराया पट्टा, यदि कोई हो,					
10.	मरम्मत एवं अनुरक्षण (क) भवन (ख) संयंत्र एवं मशीनरी (ग) अन्य, यदि कोई हो,					
11.	अन्य ऊपरी खर्च					
12.	कुल ऊपरी खर्च					
13.	सेवा लागत संबंधित व्यय					
14.	आउटसोर्स सेवा लागत संबंधित व्यय					
15.	रॉयल्टी यदि कोई हो,					
16.	तकनीकी सहायता/तकनीकी जानकारी फीस					
17.	विकास एवं अनुसंधान					
18.	गुणवत्ता नियंत्रण					
19.	प्रशासनिक ऊपरी व्यय (उत्पादन/ सेवा गतिविधि से संबंधित) (क) वेतन एवं मजदूरी (ख) अन्य (निर्दिष्ट करें) (ग) योग (क+ख)					
20.	कुल					

21.	अंतर में समयोजन (जहां मानक लागत प्रणाली का प्रयोग होता है)					
22.	जोड़े: प्रारंभिक स्टॉक घटाए: अधशेष स्टॉक (कार्य चालू है)					
23.	घटाएं : क्रेडिट/(रद्दी तथा उत्पाद/सेवाओं से बरामद की हो, यदि कोई हो)					
24.	प्राथमिक पैकिंग लागत (क) सामग्री (ख) अन्य (ग) कुल					
25.	उत्पादन/सेवा की लागत					
26.	क्रय की गई तैयार वस्तुएं यदि कोई हो					
27.	प्रारंभिक स्टॉक अधशेष स्टॉक (तैयार वस्तुएं/सेवाएं)					
28.	कुल					
29.	परिमाण तथा स्थानांतरण लागत के लिए (i) सीमित उपभोग, यदि कोई हो (ii) विक्रय (iii) अन्य, यदि कोई हो,					
30.	पैकिंग लागत द्वितीय (i) सामग्री (ii) अन्य (iii) कुल					
31.	अन्य खर्च (क) प्रशासनिक व्यय (अन्य) (ख) अन्य (उल्लेख करें)					
32.	विक्रय तथा वितरण व्यय (क) वेतन एवं मजदूरी (ख) यातायात एवं माल-भाड़ा (ग) कमीशन (घ) विज्ञापन खर्च (ङ) क्रय पर रॉयल्टी, यदि कोई हो (च) वारंटी खर्च (छ) कुल (क से छ तक)					



33.	व्याज एवं वित्तीय प्रभार: (क) निर्माण कार्य के लिए (ख) अन्य (ग) कुल (क से च तक)					
34.	पैक किए गए कुल परिमाणों की कुल विक्रय लागत (उत्पाद-फीस/सेवा कर को छोड़कर)					
35.	विक्रय वसूली घटाएं : उत्पादन फीस एवं अन्य सांविधिक लेवी					
36.	शुद्ध विक्रय वसूली					
37.	मार्जिन					
38.	जोड़े: आयात लाभ तथा प्रोत्साहन, यदि कोई हो					
39.	कुल मार्जिन (आयात लाभ को लेकर)					
40.	पूर्व फैक्टरी कीमत (विक्रय कर को छोड़कर)					
41.	अधिकतम खुदरा कीमत (विक्रय कर को छोड़कर)					
42.	सरकार सांविधिक निकाय द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा कीमत, यदि कोई हो					

**टिप्पणः**

1. निम्नलिखित के संदर्भ में प्रत्येक टाइप/किस्म/माल/सेवाओं का विवरण अलग प्रोफार्मा में तैयार किया जाना चाहिए।
2. देश के अंदर तैयार किए हुए परिमाण जो उपयोगिता के लिए हो, विक्रय परिमाण तथा आयातित परिमाणों की अलग प्रोफार्मा होनी चाहिए आयात में हुए खर्चों तथा इनसेन्टीव की भी अलग प्रोफार्मा होनी चाहिए जोकि उत्पादित एवं आयातित परिमाणों के लिए प्रयोज्य हो,
3. निम्नलिखित के संदर्भ में संबंधित पार्टियों/ मध्यवर्ती/ तैयार मालों/ सेवाओं के संबंधित इकाई स्थानांतरण की प्रोफार्मा अलग तैयार होनी चाहिए
4. यदि कोई विशिष्ट फीचर, सामान/सेवाएं में परिवर्तन हो तो उनकी अलग प्रोफार्मा भी होनी चाहिए
5. पूर्व फैक्टरी मूल्यों के अंतर्गत आने वाले माल/सेवाओं के मूल्यों एफ.ओ.आर. मूल्य, द्वारा डिलिवरी मूल्य या अन्य शर्तों का संकेत होना चाहिए। पूर्व फैक्टरी मूल्यों के लिए पैकिंग सामग्री की डिस्पैच लागत, माल-भाड़ा प्रभार, बीमा तथा ग्राहक डिलिवरी प्रभार अलग होने चाहिए।

<b>प्ररूप सीआरए-4 (नियम 6(6) के अनुसरण में)</b>	<b>केन्द्र सरकार को लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रपत्र</b>
---	---

**भाग 1 – सामान्य सूचना**

**टिप्पणी:** \*पर उल्लिखित सभी क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

- 1 (क) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या कंपनी .....  
की विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या ..... पहले से भरा हुआ

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2 (क) \*कंपनी का नाम

(ख) \*कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या भारत में कारोबार के प्रमुख स्थान का पता

(ग) \*कंपनी का ई-मेल पता

3 (क) \*वित्त वर्ष

से

तक

(ख) \*निदेशक बोर्ड की उस बैठक की तारीख जिसमें लागत परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध अनुमोदित किया गया था।

4 (क) \*उन वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) की संख्या बताएं

जिनके लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

(ख) कंपनी की ऐसी वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) का ब्यौरा (खानों की संख्या उपर्युक्त 4(क) के अनुसार)

वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं)	

5 (क) \*लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल न की गई

वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) की संख्या बताएं

(ख) कंपनी की ऐसी वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं) का ब्यौरा (खानों की संख्या उपर्युक्त 5(क) के अनुसार)

वस्तु (वस्तुओं)/सेवा (सेवाओं)	

6. लागत लेखापरीक्षक का ब्यौरा

(क) \*लागत लेखापरीक्षा की श्रेणी

0 व्यक्ति

0 लागत लेखा फर्म

0 एलएलपी

(ख) \*कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त

लागत लेखापरीक्षक या लागत लेखापरीक्षक फर्म का नाम

(ग) \*लागत लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लागत लेखापरीक्षक

फर्म की पंजीकरण संख्या

(घ) \*लागत लेखापरीक्षक या लागत लेखापरीक्षक फर्म का पता

(i) लाइन I

लाइन II

(ii) शहर

(iii) राज्य

(iv) देश

- (v) पिन कोड .....
- (ड.) \*लागत लेखापरीक्षक या लागत लेखापरीक्षक फर्म का ई-मेल .....
- 7 (क) \*क्या लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट सापेक्ष है 0 हां 0 नहीं  
यदि हां, तो कृपया उल्लेख करें .....
- (ख) \*क्या लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई आपत्ति है 0 हां 0 नहीं  
यदि हां, तो कृपया उल्लेख करें .....
- (ग) \*क्या लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल अभ्युक्तियां हैं 0 हां 0 नहीं  
यदि हां, तो कृपया उल्लेख करें .....
- 8 (क) \*क्या लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई टिप्पणियां या सुझाव निहित हैं 0 हां 0 नहीं  
(ख) \*यदि हां, तो लागत लेखापरीक्षक की  
टिप्पणियां/सुझाव .....

### भाग-II

#### अनुलग्नक:

- लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट
- वैकल्पिक अनुलग्नक - यदि कोई हों

संलग्न

संलग्न

अनुलग्नकों की सूची
अनुलग्नक हटाएं

#### सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रपत्र और इसके अनुलग्नकों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है।

..... मुझे निदेशक बोर्ड के संकल्प संख्या द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और ..... दिनांक .....  
(दिन/मास/वर्ष) उसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

..... मुझे इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

#### डिजिटल हस्ताक्षर हेतु:

प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव

डिजिटल हस्ताक्षर .....

(भारतीय कंपनी की दशा में)

या प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी की दशा में)

*पदनाम	.....
*निदेशक या प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि संख्या या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो	.....
कंपनी का निदेशक	<b>डिजिटल हस्ताक्षर</b> .....
निदेशक की निदेशक पहचान संख्या	.....
<b>संशोधित करें</b>	<b>प्ररूप की जांच करें</b>
	<b>संवीक्षा पूर्व</b>
	<b>प्रस्तुत करें</b>

यह ई-प्ररूप इलैक्ट्रॉनिक तरीके से केन्द्र सरकार द्वारा रखी गई फाईल के अनुसार और दायरकर्ता कंपनी द्वारा प्रदत्त सत्यता विवरण के आधार पर लिया गया है।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2014

**G.S.R. 425 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 and section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and in supersession of Companies (Cost Accounting Records) Rules, 2011; Companies (Cost Audit Report) Rules, 2011; Cost Accounting Records (Telecommunication Industry) Rules, 2011; Cost Accounting Records (Petroleum Industry) Rules, 2011; Cost Accounting Records (Electricity Industry) Rules, 2011; Cost Accounting Records (Sugar Industry) Rules, 2011; Cost Accounting Records (Fertilizer Industry) Rules, 2011 and Cost Accounting Records (Pharmaceutical Industry) Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Companies (cost records and audit) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:** In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “Cost Accountant in practice” means a cost accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), who holds a valid certificate of practice under sub-section (1) of section 6 of that Act and who is deemed to be in practice under sub-section (2) of section 2 thereof, and includes a firm or limited liability partnership of cost accountants;

(c) “cost auditor” means a Cost Accountant in practice, as defined in clause (b), who is appointed by the Board;

(d) “cost audit report” means the report duly audited and signed by the cost auditor including attachment, annexure, qualifications or observations etc. to cost audit report;

(e) “cost records” means books of account relating to utilisation of materials, labour and other items of cost as applicable to the production of goods or provision of services as provided in section 148 of the Act and these rules;

(f) “form” means a form annexed to these rules;

(g) “institute” means the Institute of Cost Accountants of India constituted under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);

(h) all other words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definition Details) Rules, 2014 shall have the same meanings as assigned to them in the Act or in the said rules.

**3. Application of cost records.**—For the purpose of sub-section (1) of section 148 of the Act, the following class of companies, including Foreign Companies defined in sub-section (42) of section 2 of the Act, shall be required to include cost records in their books of account, namely:-

(A) Companies engaged in the production of following goods in strategic sectors, such as:

(a) (i) machinery and mechanical appliances used in defence, space and atomic energy sectors excluding any ancillary item or items;

Explanation: - For the purposes of this sub-clause, any company which is engaged in any item or items supplied exclusively for use under this clause, shall be deemed to be covered under these rules.

(ii) turbo jets and turbo propellers;

(iii) arms and ammunitions;

(iv) propellant powders; prepared explosives, (other than propellant powders); safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators;

- (v) radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus;
- (vi) tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons and parts of such vehicles, that are funded (investment made in the company) to the extent of ninety per cent. or more by the Government or Government Agencies;
- (b) provisions of clause (A) shall be applicable, if the net worth of the company is rupees five hundred crore or more or the turnover is rupees five hundred crore or more.
- (B) companies engaged in an industry regulated by a Sectoral Regulator or a Ministry or Department of Central Government:
- (a) (i) Port services of stevedoring, pilotage, hauling, mooring, re-mooring, hooking, measuring, loading and unloading services rendered by a Port in relation to a vessel or goods regulated by the Tariff Authority for Major Ports under section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963);
- (ii) Aeronautical services of air traffic management, aircraft operations, ground safety services, ground handling, cargo facilities and supplying fuel rendered by airports and regulated by the Airports Economic Regulatory Authority under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (27 of 2008);
- (iii) Telecommunication services made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature (other than broadcasting services) and regulated by the Telecom Regulatory Authority of India under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (iv) Generation, transmission, distribution and supply of electricity regulated by the relevant regulatory body or authority under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), other than for captive generation (as defined under the Electricity Rules 2005);
- (v) Steel;
- (vi) Roads and other infrastructure projects;
- (vii) Drugs and Pharmaceuticals;
- (viii) Fertilisers;
- (ix) Sugar and industrial alcohol;
- (x) Petroleum products regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006(19 of 2006);
- (xi) Rubber and allied products being regulated by the Rubber Board.
- (b) For the purposes of clause (B), the thresholds limit shall be as under, -
- (i) in the case of a multi-product or a multi services company (i.e. a company producing more than one product or service), any product or a service for which the individual turnover (from such specific product or such specific service) is rupees fifty crore or more;
- (ii) in the case of a company, producing any one specific product or service, if the net worth of the company is rupees one hundred and fifty crore or more or the turnover is rupees twenty five crore or more.
- (c) in the case of companies engaged in an industry regulated by a sectoral regulator, the requirements of sectoral regulator regarding cost records shall be taken into account.
- (C) Companies operating in areas involving public interest such as:
- (a) (i) Railway or tramway locomotives, rolling stock, railway or tramway fixtures and fittings, mechanical (including electro mechanical) traffic signalling equipment's of all kind;
- (ii) Mineral products including cement;
- (iii) Ores;
- (iv) Mineral fuels (other than Petroleum), mineral oils etc.;
- (v) Base metals;
- (vi) Inorganic chemicals, organic or inorganic compounds of precious metals, rare-earth metals of radioactive elements or isotopes, and Organic Chemicals;
- (vii) Jute and Jute Products;
- (viii) Edible Oil under Administrative Price Mechanism;
- (ix) Construction Industry;
- (x) Companies engaged in health services viz. functioning as or running hospitals, diagnostic centres, clinical centres or test laboratories;
- (xi) Companies engaged in education services, other than such similar services falling under philanthropy or as part of social spend which do not form part of any business.
- (b) For the purposes of clause (C), the thresholds limit shall be as under, -
- (i) in the case of a multi-product or a multi services company (i.e. a company producing more than one product or service), any product or a service for which the individual turnover (from such specific product or such specific service) is rupees fifty crore or more;
- (ii) in the case of a company producing any one specific product or service, if the net worth of the company is rupees one hundred and fifty crore or more or the turnover is rupees twenty five crore or more.

- (D) Companies (including foreign companies other than those having only liaison offices) engaged in the production, import and supply or trading of following medical devices, namely:-
- (a)
    - (i) Cardiac Stents;
    - (ii) Drug Eluting Stents;
    - (iii) Catheters;
    - (iv) Intra Ocular Lenses;
    - (v) Bone Cements;
    - (vi) Heart Valves;
    - (vii) Orthopaedic Implants;
    - (viii) Internal Prosthetic Replacements;
    - (ix) Scalp Vein Set;
    - (x) Deep Brain Stimulator;
    - (xi) Ventricular peripheral Shud;
    - (xii) Spinal Implants;
    - (xiii) Automatic Impalpable Cardiac Deflobillator;
    - (xiv) Pacemaker (temporary and permanent);
    - (xv) patent ductus arteriosus, atrial septal defect and ventricular septal defect closure device;
    - (xvi) Cardiac Re-synchronize Therapy ;
    - (xvii) Urethra Spincture Devices;
    - (xviii) Sling male or female;
    - (xix) Prostate occlusion device; and
    - (xx) Urethral Stents.
  - (b) For the purposes of clause (D), the thresholds limit shall be as under, -
    - (i) in the case of a company engaged in multiple products, any product or device for which the individual turnover (from such specific product or device) is rupees ten crore or more, or one third of the turnover, whichever is less.
    - (ii) in the case of a company engaged in one specific product or device, if it has net worth of rupees one hundred and fifty crore or more or the turnover is rupees twenty five crores or more;

#### 4. Applicability for cost audit.-

- (1) Every company engaged in a strategic industry and covered under sub-clause (b) of clause (A) of rule 3 shall be required to get its cost records audited in accordance with these rules.
- (2) In the case of a multi-product or a multi services company specified in sub-clause (b) of clause (B) and sub-clause (b) of clause (C) of rule 3, the requirement for cost audit shall apply to a product or a service for which the individual turnover (from such specific product or such specific service) is rupees one hundred crore or more;
- (3) In the case of a company producing any one specific product or service specified in sub-clause (b) of clause (B) and sub-clause (b) of clause (C) of rule 3, the requirement for cost audit shall apply if the net worth of the company is rupees five hundred crore or more or the turnover from such product or such service is rupees one hundred crore or more.
- (4) In the case of a company engaged in medical products or devices referred to in sub-clause (b) of clause (D) of rule 3,

- (i) which has multiple products or devices (i.e. a company producing, importing and supplying or trading in more than one medical device or product), the requirement for cost audit shall apply to a medical device or product for which the individual turnover (from such specific medical device or product) is rupees ten crore or more, or one third of the turnover, whichever is less;
- (ii) which has only one product or device (i.e. a company producing, importing and supplying or trading one medical device or product), the requirement for cost audit shall apply if the net worth of the company is rupees one hundred fifty crores or more or the turnover is rupees twenty five crores or more.

#### 5. Maintenance of records.- (1) Every company under these rules including all units and branches thereof, shall, in respect of each of its financial year commencing on or after the 1st day of April, 2014, maintain cost records in **form CRA-1**.

- (2) The cost records referred to in sub-rule (1) shall be maintained on regular basis in such manner as to facilitate calculation of per unit cost of production or cost of operations, cost of sales and margin for each of its products and activities for every financial year on monthly or quarterly or half-yearly or annual basis.
- (3) The cost records shall be maintained in such manner so as to enable the company to exercise, as far as possible, control over the various operations and costs to achieve optimum economies in utilisation of resources and these records shall also provide necessary data which is required to be furnished under these rules.

#### 6. Cost audit.- (1) The category of companies specified in rule 3 and the thresholds limits laid down in rule 4, shall within one hundred and eighty days of the commencement of every financial year, appoint a cost auditor.

- (2) Every company referred to in sub-rule (1) shall inform the cost auditor concerned of his or its appointment as such and file a notice of such appointment with the Central Government within a period of thirty days of the Board meeting in which such appointment is made or within a period of one hundred and eighty days of the commencement of the financial year, whichever is earlier, through electronic mode, in **form CRA-2**, along with the fee as specified in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(3) Every cost auditor appointed as such shall continue in such capacity till the expiry of one hundred and eighty days from the closure of the financial year or till he submits the cost audit report, for the financial year for which he has been appointed.

(4) Every cost auditor, who conducts an audit of the cost records of a company, shall submit the cost audit report along with his or its reservations or qualifications or observations or suggestions, if any, in **form CRA-3**.

(5) Every cost auditor shall forward his report to the Board of Directors of the company within a period of one hundred and eighty days from the closure of the financial year to which the report relates and the Board of Directors shall consider and examine such report particularly any reservation or qualification contained therein.

(6) Every company covered under these rules shall, within a period of thirty days from the date of receipt of a copy of the cost audit report, furnish the Central Government with such report along with full information and explanation on every reservation or qualification contained therein, in **form CRA-4** along with fees specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(7) The provisions of sub-section (12) of section 143 of the Act and the relevant rules made thereunder shall apply *mutatis mutandis* to a cost auditor during performance of his functions under section 148 of the Act and these rules.

**7. Rules not to apply in certain cases.-** The requirement for cost audit under these rules shall not be applicable to a company which is covered under rule 3, and,

- (i) whose revenue from exports, in foreign exchange, exceeds seventy five per cent of its total revenue or
- (ii) which is operating from a special economic zone.

[F. No. 1/40/2013/CL.-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

### Annexure

#### Form – CRA-1

[Pursuant to Rule 5(1) of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014]

#### **Form in which Cost Records shall be maintained**

#### **PARTICULARS RELATING TO THE ITEMS OF COSTS TO BE INCLUDED IN THE BOOKS OF ACCOUNTS:**

##### **1. INPUT MATERIAL(S)/SERVICE(S):**

(1) Proper records shall be maintained showing separately all receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of raw material/input services (including all direct charges up to the works) required for the production of goods or rendering of services under reference. The basis, on which quantities, cost of issue and consumption are calculated, shall be indicated in the cost records and followed consistently. In the case of imported raw materials/input services, proper records shall be maintained showing quantity of imported material/service, Free On Board value, overseas freight, insurance, customs duty and inland freight charges along with license-wise quantities allowed, actual quantities imported, actual quantities consumed, quantities in stock and quantities yet to be imported out of total licensed quantities. If both indigenous and imported materials/services are consumed, the records showing details of percentage mix of the same have to be maintained for each item.

(2) Proper records shall be maintained separately showing the receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of intermediate material/service, process material, additives, bought out components, sub-assemblies, accessories, semi-finished goods, consumable stores, spares, other indirect materials/services etc. used in the production of the goods/rendering of services under reference. The cost shall include all direct charges up to works/services delivered. In case of additives, bought out components/bought out services, sub-assemblies, accessories, semi-finished goods, consumable stores, spares and other indirect materials/services, proper records shall be maintained for the value and quantity issued/rendered in a financial year suitably adjusted for consumption. If the life of any input material/service is more than one financial year, necessary adjustment should be made. If the life of any input material/service is not known, consumption may be assessed on technical basis.

(3) Where the company produces these raw materials/input services, intermediates or process materials, separate records showing the cost of production/cost of service of such items, shall be maintained. The basis on which quantities and cost of issues and consumption of such materials/services produced or processed by the company are calculated, shall be indicated in the cost records and followed consistently.

(4) The issues, consumption of all raw materials/input services, intermediates, process materials, additives, manufactured, bought out components/ bought out services, sub-assemblies, accessories, semi-finished goods,

consumable stores, spares and other indirect materials/services shall be identified with the process wise production of goods/rendering of services.

(5) Proper records shall be maintained indicating the quantity as well as value of recoveries at different stages/processes having significant value in relation to cost of material/service. In case the recoveries are not reused in the process and are sold/rendered or disposed of without further processing/rendering, the realisation from such sales shall be recorded and adjusted against the process concerned. In case further processing/augmentation is necessary to make the recoveries usable or saleable, as the case may be, proper records of the cost involved for such further processing/augmentation shall be maintained. If such processing/augmentation is done by any outside agency, proper records to show the quantity sent for processing/augmentation, quantity received back after processing/augmentation and cost incurred thereon shall be maintained. The net realization, if any, shall be adjusted against the major process relating to such recoveries. The cost of recoveries shall be determined on equitable and reasonable basis and applied consistently. The records indicating the actual sales realization of recoveries shall also be maintained.

(6) Proper records shall be maintained to show the receipts, issues and balances, both in quantities and cost of each item of consumable stores, other process materials/services not covered above, small tools and machinery spares, indirect materials/services etc. The cost shall include all direct charges up to works/services delivered.

(7) The cost of consumable stores, small tools and machinery spares shall be charged to the relevant cost center/service centre or department or production process of goods or rendering of services on the basis of actual issues. In the case of consumable stores and small tools, indirect services, the cost of which are insignificant (less than 5% of the cost of material consumed), the company may, if it so desires, maintain such records for the group of such consumable stores, tools and indirect services.

(8) Proper records shall be maintained showing the quantity and value of wastage, spoilage, rejections and losses of raw materials/input services, intermediates, process materials/services, consumable stores, small tools and machinery spares, whether in transit, storage, manufacture or at any other stage. The method followed for adjusting the above losses as well as the income derived from the disposal of rejected and waste materials/services including spoilage, if any, in determining the cost of good(s)/service(s), shall be indicated in the cost records. Any abnormal wastage or spoilage or rejection or losses shall be indicated distinctly and separately along with reasons thereof.

(9) Proper records shall also be maintained to indicate the value of raw materials/input services, intermediates and process materials/services, finished and semi-finished goods/services, consumable stores, small tools and machinery spares, additives, manufactured, bought out components/bought out services, sub-assemblies, accessories, semi-finished goods/services, consumable stores, spares and other indirect materials/services which have not moved/utilized for more than twelve months.

(10) Where any credit under Central Value Added Tax (CENVAT) under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or Finance Act in case of service tax, any other benefits of the nature of CENVAT/Service Tax credit, are available on any item of material/service, the cost of such material/service shall be shown after adjusting such credit or benefits.

(11) If any of the input materials/services is processed through an outside party, proper records shall be maintained for the quantity sent for processing, quantity received after processing, balance quantity of material/service, losses and wastage of material/service during processing, by-products recovered, if any, and the cost involved in processing/rendering of service.

## 2. SALARIES AND WAGES:

(1) Proper records shall be maintained to show the attendance and earnings of all employees assigned to the cost centres or departments and the work on which they are employed. The records shall also indicate the following separately for each cost centre or department:

- (a) piece rate wages (wherever applicable);
- (b) incentive wages, either individually or collectively as production bonus or under any other scheme based on output;
- (c) overtime wages;
- (d) earnings of casual or contractual labour;
- (e) bonus or gratuity, statutory as well as other;
- (f) contribution to superannuating scheme;
- (g) cost of employees stock option;



- (h) leave travel concession;
- (i) paid holidays;
- (j) leave with pay;
- (k) Training, workshop, seminar expenses;
- (l) Medical/health, safety, education expenses;
- (m) any other statutory provision for labour welfare;
- (n) any other free or subsidized facility.

(2) The records shall be maintained in such a manner as to enable the company to book these expenses cost centre wise or department wise with reference to goods/services under reference and to furnish necessary particulars. Where the employees work in such a manner that it is not possible to identify them with any specific cost centre/service centre or department, the employees cost shall be apportioned to the cost centre/service centres or departments on equitable and reasonable basis and applied consistently.

(3) The idle labour cost shall be separately recorded under classified headings indicating the reasons therefor. The method followed for accounting of idle time payments shall be disclosed in the cost records.

(4) Any wages and salaries allocable to capital works, such as, additions to plant and machinery, buildings or other fixed assets shall be accounted for under the relevant capital heads. The method followed for accounting of such payments in determining the cost of the goods/services under reference shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently. The said method shall be disclosed in the cost records also.

(5) The cost of normal retirement benefits payable to employees shall be recorded separately and charged to cost. The method followed for accounting of such costs in determining the cost of the goods/services under reference shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently and disclosed separately. Termination benefits which are payable in addition to the normal retirement benefits, such as benefits under voluntary retirement Scheme, expenses treated as abnormal and not forming part of salaries and wages and cost of production of goods/rendering of services.

### 3. UTILITIES:

(1) Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of each major utility such as power, water, steam, effluent treatment, etc. produced and consumed by the different cost centres in such detail as to have particulars for each utility separately.

(2) If a utility is purchased, proper records showing the delivered cost including all direct charges shall be maintained for the quantity and value of each utility purchased.

(3) Where a utility is produced and supplied by any other unit of the company or any related party, proper records shall be maintained to assess cost and the quantity of the utility so procured.

(4) The cost of utility, if any, supplied to any other unit(s) of the company or any related party, shall be calculated on equitable and reasonable basis and applied consistently.

(5) The cost of utility allocated/apportioned to the cost centers and further to the individual goods/services shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently.

(6) Where any utility is one of the major inputs to the raw material used in production or manufacture of any of the goods/services under reference, such direct utility shall be included in the cost of such raw material/input service and shown accordingly.

(7) Proper records indicating any subsidy, grant/incentive, credits, recoveries, abnormal costs, penalties or damages paid etc. in respect of utilities shall be maintained.

(8) The records shall also indicate the measures taken on conservation of energy and its corresponding impact on per unit cost of goods/services.

### 4. SERVICE DEPARTMENT EXPENSES:

Proper records shall be maintained to indicate expenses incurred in respect of each service cost centre like engineering, work shop, designing, laboratory, safety, transport, computer cell, welfare etc. These expenses shall be apportioned to other services and production departments on equitable and reasonable basis and applied consistently. Where these services are utilized for other goods/services of the company also, the basis of apportionment of such expenses to goods/services under reference and to the other goods/services shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently. The said basis shall be disclosed in the cost records also. Proper records shall be maintained to indicate cost of purchase, production, distribution, marketing and price of services with reference to sales to outside

parties. Proper records shall also be maintained regarding cost of services received from/rendered to related parties and cost of service cost centre incurred in foreign exchange besides proper maintenance of records in respect of any subsidy, grants, incentives, credits/recoveries, any abnormal cost, penalty and damages.

#### **5. REPAIRS AND MAINTENANCE:**

(1) Proper records showing the expenditure incurred by the workshop, tool room and on repairs and maintenance in the various cost centres or departments shall be maintained under different heads. The records shall also indicate the basis of charging such expenses to different cost centres or departments. Records in respect of repairs and maintenance cost of jobs done in-house and outsourced, cost of major overhauls, repair and maintenance paid/payable to the related party, incurred in foreign exchange and any subsidy, grant, incentive, credits/recoveries, penalty and damages and any abnormal portion of this item of cost shall be maintained. The manner of charging a share of the cost of workshop, tool room and repairs and maintenance expenses shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently.

(2) In addition to the above, records shall indicate the amount and also the proportion of closing inventory of stores and spare parts representing items which have not moved for over twenty four months.

(3) The expenditure on major repair works from which benefit is likely to accrue for more than one financial year shall be shown separately and absorbed in the cost over the period for which such benefits are expected to accrue on equitable and reasonable basis and applied consistently. Method of accounting along with the basis of allocation of such costs shall also be clearly indicated in cost records.

#### **6. FIXED ASSETS, DEPRECIATION AND LEASE CHARGES:**

(1) Proper and adequate records shall be maintained for assets used for production of goods/rendering of services under reference in respect of which depreciation has to be provided for. These records shall, *inter alia*, indicate grouping of assets under each good/service, the cost of acquisition of each item of asset including installation charges, date of acquisition and rate of depreciation.

(2) Those records which enable to identify and/or allocate gross fixed assets, accumulated depreciation up to the year and net fixed assets under the heads; land and building, plant and machinery, furniture and fixtures etc. employed for goods/services under reference shall be maintained. The basis of apportionment of common assets to the goods/services under reference shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently. In case of revaluation of assets, the same shall be indicated separately and depreciation on revaluation shall also be indicated separately.

(3) The basis on which depreciation is calculated and allocated or apportioned to various cost centre/service centres or departments and absorbed on all goods/services shall be clearly indicated in the cost records. If depreciation charged or chargeable to the cost centres or departments is in excess or lower than the depreciation calculated by applying the rates of depreciation prescribed under the Companies Act, 2013, such amount of excess or lower depreciation shall be indicated clearly in the cost records. The cost records shall also show the effect of such excess or lower depreciation, as the case may be, on per unit cost of each good/service. The cumulative depreciation charged in the cost records, against any individual item of asset shall not, however, exceed the original cost of the respective asset.

(4) Proper records shall be maintained giving details of assets taken or given on lease. The break-up of lease rental in terms of financial charges, depreciation etc. paid or received shall be maintained separately. The details shall be maintained separately for assets taken from or given to related party.

#### **7. OVERHEADS:**

(1) Proper records shall be maintained for various items of indirect expenses comprising overheads pertaining to goods/services under reference. These expenses shall be analyzed, classified and grouped according to functions, namely, works, administration, selling and distribution, Head Office expenses.

(2) Proper records shall be maintained in respect of overheads incurred in foreign exchange, any subsidy, grant, incentive, credits/recoveries, unabsorbed overheads and any abnormal portion and also relating to resources received from or supplied to any related party.

(3) Where the company is also manufacturing goods/rendering services other than the goods/services under reference, the records shall clearly indicate the basis followed for apportionment of the common overheads including head office expenses of the company to such other goods/services and the goods/services under reference, including capital works. Where certain expenses forming part of overheads can be identified with particular goods/services, such expenses shall be first segregated and charged to the relevant goods/services in the first instance and thereafter the residual expenses under the above categories of overheads shall be apportioned on equitable and reasonable basis and applied consistently. The overheads chargeable to capital works shall be indicated separately in the cost records. The basis of apportionment or absorption of overheads to the cost centres or departments and the goods/services shall be indicated in the cost records. The

records shall be maintained in such a manner as to indicate the details of works, administration, selling and distribution overheads, H.O. expenses etc.

#### **8. ROYALTY AND TECHNICAL KNOW-HOW FEE:**

Adequate records shall be maintained showing royalty and/or technical know-how fee including other recurring or non-recurring payments of similar nature, if any, made for the goods/services under reference to collaborators or technology suppliers in terms of agreements entered into with them. Such records shall be kept separately in respect of each such agreement or arrangement. The basis of charging such amount, including lump sum payment and its treatment shall be indicated in the cost records.

#### **9. RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES:**

(1) Proper records showing the details of expenses, if any, incurred by the company for research and development work on the goods/services covered under these rules, according to the nature of development of goods/services - existing and new, design and development of new facilities and market research for the existing and new goods/services, shall be maintained separately. The records shall also indicate the payments made to outside parties for the research and development work. The basis of charging such amount, including lump sum payment and its treatment shall be indicated in the cost records.

(2) The basis of charging these expenses to the cost of production of goods/services under reference and to other goods/services shall be indicated in the cost records. Where the utility of research and development work extends to over more than one financial year, such expenses shall be charged to the cost of goods/services under reference and to all other goods/services on equitable and reasonable basis and applied consistently indicating the criteria on the basis of which it has been decided to extend the utility period of these expenses to more than one financial year.

(3) Proper records shall be maintained in respect of such expenses incurred in foreign exchange and any subsidy, grant, incentive, credits/recoveries, penalty or damages paid and any abnormal portion and also for resources received from or supplied to any related party.

(4) The expenses incurred by the research and development department for providing technical know-how to outsiders shall be recorded separately and excluded from the cost of goods/services under reference. The amount recovered for providing technical know-how to outsiders shall also be indicated separately and excluded from the income arising from the sale of goods/services under reference.

#### **10. QUALITY CONTROL:**

Adequate records shall be maintained to indicate the expenses incurred in respect of quality control department or cost centre/service centre for goods/services under reference. Where these services are also utilized for other goods/services of the company, the basis of apportionment to goods/services under reference and to other goods/services shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently. Proper records shall be maintained in respect of such expenses relating to resources received from or supplied to the related party, incurred in foreign exchange and any subsidy, grant, incentive, credits/recoveries, unabsorbed overheads and any abnormal portion etc.

#### **11. WORK-IN-PROGRESS AND FINISHED STOCK:**

The method followed for determining the cost of work-in-progress and finished stock of the goods and for services under delivery or in-process shall be appropriate and shall be indicated in the cost records so as to reveal the cost element that have been taken into account in such computation. All conversion costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition shall be taken into account while computing the cost of work-in-progress and finished stock. The method adopted for determining the cost of work-in-progress and finished goods shall be followed consistently.

#### **12. CAPTIVE CONSUMPTION:**

If the goods/services under reference are used for captive consumption, proper records shall be maintained showing the quantity and cost of each such goods/services transferred to other departments or cost centres or units of the company for self-consumption and sold to outside parties separately.

#### **13. BY-PRODUCTS:**

Proper Records shall be maintained for each item of by-product, if any, produced showing the receipt, issues and balances, both in quantity and value. The basis adopted for valuation of by-product for giving credit to the respective process shall be equitable and consistent and should be indicated in cost records. Records showing the expenses incurred on further processing, if any, as well as actual sales realization of by-product shall be maintained. The proper records shall be maintained in respect of credits/recoveries from the disposal of by-products.

**14. JOINT PRODUCTS/SERVICES:**

Where more than one product/service which is of equal economic importance arises from a process, the cost up to the point of separation of products/services shall be apportioned to joint products/services on reasonable and equitable basis and shall be applied consistently. The basis on which such joint costs are apportioned to different products/services arising from the process shall be indicated in the cost records. Proper records shall be maintained in respect credits/recoveries from the disposal of joint products/services.

**15. PACKING EXPENSES:**

Proper records shall be maintained separately for domestic and export packing showing the quantity and cost of various packing materials and other expenses incurred on primary and/or secondary packing indicating the basis of valuation. Where such expenses are incurred in common for other goods also, the basis of apportioning the expenses between the relevant goods shall be on equitable and reasonable basis and applied consistently. Proper records shall be maintained in respect of packing materials received from or supplied to the related party, costs incurred in foreign exchange and any subsidy, grant, incentive, credits/recoveries, unabsorbed overheads, penalty and damages, any abnormal portion etc.

**16. INTEREST AND OTHER BORROWING COSTS:**

- (1) Proper records shall be maintained for money borrowed for each project and/or working capital and interest charged thereon. The amount of net interest and other borrowing costs shall be allocated or apportioned to the goods/services under reference and other goods/services on equitable and reasonable basis and applied consistently. The basis of further charging of the share of interest to the various types of such goods/services shall also be equitable and reasonable and applied consistently. The basis of such allocation or apportionment shall be spelt out clearly in the cost records.
- (2) Net interest and other borrowing costs incurred for project under execution shall be capitalized for the period up to the date the project is commissioned.
- (3) Proper records shall be maintained in respect of such expenses paid/payable to the related party, incurred in foreign exchange and any subsidy, grant, incentive and any amount of similar nature received/receivable, payment of penal interest or fine/damages paid.
- (4) Proper records shall be maintained in respect of such expenses incurred relating to prior periods and taken to reconciliation directly.

**17. EXPENSES OR INCENTIVES ON EXPORTS:**

- (1) Proper records showing the expenses incurred on the export sales, if any, of the goods/services under reference shall be separately maintained so that the cost of export sales can be determined correctly. Separate cost statements shall be prepared for goods/services exported giving details of export expenses incurred or incentive earned.
- (2) Proper records shall be maintained giving the details of export commitments licensewise and the fulfillment of these commitments giving the reasons for non-compliance, if any. In case, duty free imports are made, the cost statements should reflect this fact. If the duty free imports have been made after actual production, the statement should reflect this fact also.

**18. POLLUTION CONTROL :**

- (1) Expenditure incurred by the company on various measures to protect the environment like effluent treatment, control of pollution of air, water, etc., should be properly recorded. Records relating to basis of distribution of pollution control expenses, such costs of jobs done in-house and outsourced separately, pollution control costs paid/payable to related parties, incurred in foreign exchange and any subsidy, grant, incentive, credits/recoveries, any abnormal portion of such costs, penalty and damages paid and any amount received/receivable from pollution control agency.

**19. PRODUCTION RECORDS :**

Quantitative records of all finished goods (packed or unpacked)/services rendered showing production, issues for sales and balances of different type of the goods/services under reference, shall be maintained. The quantitative details of production of goods/services rendered shall be maintained separately for self-produced, third party on job work, loan license basis etc.

**20. SALES RECORDS:**

Separate details of sales shall be maintained for domestic sales at control price, domestic sales at market price, export sales under advance license, export sales under other obligations, export sales at market price, and sales to related party/inter unit transfer. In case of services details of domestic delivery/sales at control price, domestic delivery/sales at market price, export delivery/sales under advance license, export delivery/sales under other obligations, export delivery/sales at market price, and delivery/sales to related party/inter unit transfer. Such details shall be maintained separately for each plant/unit wise or service centre wise for total as well as per unit sales realization.

**21. ANY OTHER ITEM OF COST:**

Proper records shall be maintained for any other item of cost being indispensable and considered necessary for inclusion in cost records for calculating cost of production of goods/rendering of services, cost of sales, margin in total and per unit of the goods/services under reference.

**22. ADJUSTMENT OF COST VARIANCES:**

Where the company maintains cost records on any basis other than actual such as standard costing, the records shall indicate the procedure followed by the company in working out the cost of the goods/services under such system. The cost variances shall be shown against separate heads and analyzed into material, labour, overheads and further segregated into quantity, price and efficiency variances. The method followed for adjusting the cost variances in determining the actual cost of the goods/services shall be indicated clearly in the cost records. The reasons for the variances shall be duly explained in the cost records and statements.

**23. COST STATEMENTS:**

- (1) Cost statements (quarterly and annually) showing quantitative information in respect of each good/service under reference shall be prepared showing details of available capacity, actual production, production as per excise records, capacity utilization (in-house), stock purchased for trading, stock and other adjustments, quantity available for sale, wastage and actual sale etc. during current financial year and previous year.
- (2) Such statements shall also include details in respect of all major items of costs constituting cost of production of goods/services, cost of sales of goods/services and margin in total as well as per unit of the goods/services. The goods/services emerging from a process, which forms raw material or an input material/service for a subsequent process, shall be valued at the cost of production/cost of service up to the previous stage.
- (3) Cost Statements (quarterly and annually) in respect of reconciliation of indirect taxes showing details of total clearances of goods/services, assessable value, duties/taxes paid, CENVAT/VAT/Service Tax credit utilized, duties/taxes recovered and interest/penalty paid.
- (4) If the company is operating more than one plant, factory or service centre, separate cost statements as specified above shall be prepared in respect of each plant, factory or service centre.
- (5) Any other statement/information considered necessary for suitable presentation of Costs and Profitability of goods/services produced by the Company shall also be prepared.

**24. RECONCILIATION OF COST AND FINANCIAL ACCOUNTS:**

- (1) The cost statements shall be reconciled with the financial statements for the financial year specifically indicating the expenses or incomes not considered in the cost records or statements so as to ensure accuracy and to adjust the profit of the goods/services under reference with the overall profit of the company. The variations, if any, shall be clearly indicated and explained.

- (2) A statement showing the total expenses incurred and income received by the company under different heads of accounts and the share applicable to other goods/services and the goods/services under reference shall be prepared and reconciled with the financial statement.

#### **25. STATISTICAL RECORDS:**

(1) The records regarding available machine hours or direct labour hours in different production departments and actually utilized shall be maintained for production of goods/rendering of services under reference and shortfall suitably analyzed. Suitable records for computation of idle time of machines and/or labour shall also be maintained and analyzed.

(2) Proper records shall be maintained to enable the company to identify the capital employed, net fixed assets and working capital separately for the production of goods/rendering of services under reference and other goods/services to the extent such elements are separately identifiable. Non-identifiable items shall be allocated on a suitable and reasonable basis to different goods/services. Fresh investments on fixed assets for production of goods/rendering of services under reference that have not contributed to the production of goods/rendering of services during the relevant period/year shall be indicated in the cost records. The records shall, in addition, show assets added as replacement and those added for increasing existing capacity.

#### **26. RECORDS OF PHYSICAL VERIFICATION:**

Records of physical verification may be maintained in respect of all items held in the stock such as raw-materials, process materials, packing materials, consumables stores, machinery spares, chemicals, fuels, finished goods and fixed assets etc. Reasons for shortages/surplus arising out of such verifications and the method followed for adjusting the same in the cost of the goods/services shall be indicated in the records.

#### **27. RELATED PARTY TRANSACTIONS:**

(1) In respect of related party transactions or supplies made or services rendered by a company to a company termed "related party relationship" and vice-a-versa, records shall be maintained showing contracts entered into, agreements or understanding reached in respect of -

- (a) purchase and sale of raw materials, finished good(s), rendering of service(s), process materials and rejected goods including scraps, etc;
- (b) utilisation of plant facilities and technical know-how;
- (c) supply of utilities and any other services;
- (d) administrative, technical, managerial or any other consultancy services;
- (e) purchase and sale of capital goods including plant and machinery; and
- (f) any other payment related to the production of goods/rendering of services under reference.

(2) These records shall also indicate the basis followed for arriving at the rates charged or paid for such goods or services so as to enable determination of the reasonableness of such rates in so far as they are in any way related to goods/services under reference.

**FORM CRA-2**

Form of intimation of appointment of cost auditor  
by the company to Central Government

[Pursuant to rule 6(2)]

**Note - All fields marked in \* are to be mandatorily filled.**

1.(a) \*Corporate identity number (CIN) or foreign company registration number (FCRN) of the company

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company

(c) \*e-mail ID of the company

(d) \*Phone

3. \* Good/s or service/s to which cost audit relates

#### 4 . Details of the cost auditor appointed

(a) Name of proprietorship, partnership firm or LLP appointed as cost auditor as per Board's resolution

\*

(b) (i) \*Address Line I

Line II

(ii) \*City

(iii) \*State

(iv) Country

(v) \*Pin code

(c) \*Details of the member representing the above firm

(i) Name

(iii) Membership number

(d) \*e-mail ID of the firm or member

\*

(3)

5. Financial year to be covered under cost audit

(a) \*From(  DD/MM/YYYY )

(b) \*To(  DD/MM/YYYY )

6. \*Date of meeting of Board of Directors appointing the cost auditor  (DD/MM/YYYY)

7. (a) \*Is there any change in the cost auditor  Yes  No

(b) If yes, name and address of previous auditor

(c) Reasons for change of the auditor

(d) Whether the previous cost auditor has been informed of the change  Yes  No

#### Attachments

\*Copy of the Board resolution of the company

\*Optional attachment(s) - if any

List of attachments

#### Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given and its attachments is correct and complete

I have been authorised by the Board of Directors' resolution number  dated   
(DD/MM/YYYY) to sign and submit this intimation.

I am authorised to sign and submit this intimation.

#### To be digitally signed by

Any Key Managerial personnel or an officer of the company duly authorized by the Board in this behalf (in case of Indian company) or authorised representative (In case of a foreign company)

\*Designation

\*Director identification number of the Director or Managing Director or Manager or authorised representative;



**Form CRA-3****[Pursuant to rule 6(4) of the Companies (cost records and audit) Rules, 2014]****FORM OF THE COST AUDIT REPORT**

I/We,..... having been appointed as Cost Auditor(s) under Section 148(3) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) of .....(*mention name of the company*) having its registered office at ..... (*mention registered office address of the company*) (hereinafter referred to as the company), have audited the Cost Records maintained under section 148 of the said Act, in compliance with the cost auditing standards, in respect of the.....(*mention name (s) of good(s)/service(s) for the period/year..... (mention the financial year)*) maintained by the company and report, in addition to my/our observations and suggestions in para 2.

- (i) I/We have/have not obtained all the information and explanations, which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purpose of this audit.
  - (ii) In my/our opinion, proper cost records, as per section 148 of the Companies Act, 2013, have/have not been maintained by the company in respect of good(s)/service(s) under reference.
  - (iii) In my/our opinion, proper returns adequate for the purpose of the Cost Audit have/have not been received from the branches not visited by me/us.
  - (iv) In my/our opinion and to the best of my/our information, the said books and records give/do not give the information required by the Companies Act, 2013, in the manner so required.
  - (v) In my/our opinion, company has/does not have adequate system of internal audit of cost records which to my/our opinion is commensurate to its nature and size of its business.
  - (vi) In my/our opinion, information, statements in the annexure to this cost audit report gives/does not give a true and fair view of the cost of production of good(s)/rendering of service(s), cost of sales, margin and other information relating to good(s)/service(s) under reference.
- 2 Observations and suggestions, if any, of the Cost Auditor, relevant to the cost audit.

Dated: this \_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 20\_\_  
at \_\_\_\_\_ (mention name of place of signing this report)

SIGNATURE AND  
SEAL OF THE COST  
AUDITOR (S)  
MEMBERSHIP  
NUMBER (S)

**NOTES:**

- (1) Delete words not applicable.
- (2) If as a result of the examination of the books of account, the Cost Auditor desires to point out any material deficiency or give a qualified report, he/she shall indicate the same against the relevant para (i) to  
(vi) in the prescribed form of the Cost Audit Report giving details of discrepancies he/she has come across.
- (3) The report, suggestions, observations and conclusions given by the Cost Auditor under this paragraph shall be based on verified data, reference to which shall be made here and shall,

wherever practicable, be included after the company has been afforded an opportunity to comment on them.

**ANNEXURE TO THE COST AUDIT REPORT**

**1. GENERAL INFORMATION:**

1. CIN or GLN of the company:
2. Name of the company:
3. Registered office address:
4. Corporate office address:
5. E-mail address of the company:
6. Company's financial year to which the Cost Audit Report relates:
7. Name, address, membership number and e-mail of the Cost Auditor(s):
8. SRN Number and date of Filing of Form of intimation of appointment of cost auditor with the Central Government:
9. Date of first commencement of commercial production/delivery of service of good(s)/service(s) under reference.
10. Date of Board of Directors' meeting wherein the Annexure to the cost audit report was approved:
11. No. of Audit Committee meetings held by the company, and attended by the Cost Auditor during the year.
12. If there is any foreign technical collaboration for the good(s)/service(s) under reference, the following details shall be given:
  - (a) name and address of the foreign collaborators;
  - (b) main terms of agreement ;
  - (c) amount of royalty, lump sum payment, technical aid fee payable and the basis of calculating the same;
  - (d) whether the technical collaborator has contributed to the share capital. If so, the paid up share capital so held.

**2. COST ACCOUNTING POLICY:**

(1) Briefly describe the cost accounting policy adopted by the Company and its adequacy or otherwise to determine correctly the cost of production/operation, cost of sales, sales realization and margin of the good(s)/service(s) under reference separately for each good(s)/service(s). The policy should cover, inter alia, the following areas:

- a) Identification of cost centres/cost objects and cost drivers.
- b) Accounting for material cost including packing materials, stores and spares etc., employee cost, utilities and other relevant cost components.
- c) Accounting, allocation and absorption of overheads.
- d) Accounting for Depreciation/Amortization.
- e) Accounting for by-products/joint-products or services, scraps, wastage etc.
- f) Basis for Inventory Valuation.
- g) Methodology for valuation of Inter-Unit/Inter Company and Related Party transactions.
- h) Treatment of abnormal and non-recurring costs including classification of other non-cost items.
- i) Other relevant cost accounting policy adopted by the Company.

(2) Briefly specify the changes, if any, made in the cost accounting policy for the good(s)/service(s) under audit during the current financial year as compared to the previous financial year.

(3) Observations of the Cost Auditor regarding adequacy or otherwise of the Budgetary Control System, if any, followed by the company.

### 3. PROCESS OF MANUFACTURE OF GOOD(S)/DELIVERY OF SERVICE(S):

A brief note regarding the process of manufacture of good(s)/delivery of service(s) along with flow chart covering manufacture of good(s)/provision of service(s), utility and production/service department engaged in the manufacturing of the good(s)/delivery of service(s).

### 4. GOOD(S)/SERVICE(S) DETAILS (FOR THE COMPANY AS A WHOLE):

S. No.	Name of each Good(s)/Service(s)	Net Sales (net of taxes, duties etc.)	Covered under Cost Audit (Yes/No)
<b>A</b>	<b>Production of Goods</b>		
	1.		
	2.		
	3. etc.		
	Sub-Total (A)		
<b>B</b>	<b>Services</b>		
	1.		
	2.		
	3. etc.		
	Sub-Total (B)		
<b>C.</b>	<b>Trading Activities</b>		
	1.		
	2.		
	3. etc.		
	Sub-Total (C)		
<b>D.</b>	<b>Other Income</b>		
	<b>Total Income as per Audited Annual Report (A+B+C+D)</b>		

### 5. QUANTITATIVE INFORMATION FOR EACH GOOD(S)/SERVICE(S) SEPARATELY:

Name of the Good(s)/Service(s)	Financial Year		
Financial Year	From	_____ to _____	
Particulars	Unit	Current Year	Previous Year
<b>1. Available Capacity</b>			
(a) Installed Capacity			
(b) Capacity enhanced during the year, if any			
(c) Capacity available through leasing arrangements, if any			
(d) Capacity available through loan license/third party			
(e) Total available capacity			
<b>2. Actual Production/Services rendered</b>			
(a) Self Manufactured/rendered			
(b) Produced under leasing arrangements/outsourced			
(c) Produced on loan license/by third parties on job work/outsourcing agency			
(d) Total Production/Services rendered			
<b>3. Production/services rendered as per excise records/service tax records</b>			
<b>4. Capacity utilization (in-house)</b>			
<b>5. Stock purchased for trading/Services hired</b>			
(a) Domestic purchase/hiring of services			
(b) Imports			
(c) Total Purchases/Services hired			
<b>6. Stock and other adjustments</b>			
(a) Change in stock of Finished Goods/Value of outgoing services			
(b) Self/Captive Consumption/internal services (incl. samples etc.)			
(c) Other quantitative adjustments, if any (wastage etc.)			
(d) Total adjustments			

<b>7. Total Available Quantity/Service rendered [2(d)+5(c) – 6(d)]</b>			
<b>8. Actual Sales</b>			
(a) Domestic Sales (Goods/Services)			
(b) Domestic Sales (Trading)			
(c) Export Sale (Goods/Services)			
(d) Export Sale (Trading)			
(e) Total Quantity Sold/Services rendered			

**Notes:**

1. It should be mentioned whether the installed capacity is on single shift or multiple shift basis.
2. In order to have a meaningful comparison of production and installed capacity, wherever necessary these details should be expressed in appropriate units.

**6. Details of the major input materials/service used for good(s) manufactured/service(s) rendered under reference.**

Particulars	Unit	Current Year			Previous Year		
		Quantity	Rate	Amount	Quantity	Rate	Amount
1. Indigenous: (specify)							
(a)							
(b)							
(c) etc.							
2. Self-manufactured: (specify)							
(a)							
(b)							
(c) etc.							
3. Imported: (specify)							
(a)							
(b)							
(c) etc.							
4. Total							

**Note:** Details should be furnished in respect of major input material(s)/service(s) each constituting at least 5% of the total raw material cost.

**6(A) STANDARD/ ACTUAL CONSUMPTION OF INPUT MATERIAL(S)/SERVICE(S) PER UNIT**

Particulars (Specify)	Unit	Standard		Actuals	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1.					
2.					
3. etc.					

**Note:** Details should be furnished in respect of major input material(s)/service(s) each constituting at least 5% of the total raw material/input service cost.

**6(B) BREAK-UP OF COST OF INPUT MATERIAL(S)/SERVICE(S) IMPORTED DURING THE YEAR:**

Particulars	Current Year	Previous Year
<b>(A) Goods</b>		
1. F.O.B. Price (in foreign currency/INR)		
2. Insurance & freight/Travelling expenses, if any		
3. Customs duty, if any		
4. Clearing charges, if any		
5. Inland freight, if any		
6. Other expenses		
7. Total		
<b>(B) Service(s)</b>		
1. --- (please specify)		
2. ---		





**10. NET FIXED ASSETS AND DEPRECIATION: (For the Company as a whole)**

Particulars	Current Year	Previous Year
1. Net Fixed Assets		
2. Amount of depreciation provided in the financial records		
3. Method of providing depreciation		
4. Amount of depreciation absorbed in the cost records		
5. Shortfall / Excess, if any		

Note: The impact of re-valuation of assets, if any, shall not be included.

**11. NET BLOCK, DEPRECIATION AND LEASE RENT: [For good(s)/service(s) covered]**

Particulars	Net Fixed Assets at the end of the year (a)	Depreciation for the year (b)	Lease Rent paid, if any (c)	Total (b+c)	Apportionment to Goods/Services				Basis of Apportionment
					A	B	C	D..etc.	
Name of major cost centers for good(s) /service(s): (specify)									
(a)									
(b).. etc.									
Total									

Note : Excluding Net block of assets given on lease, if any.

**12. OVERHEADS:**

For Company as a whole

Particulars	For the Company as a whole			Share of good(s) produced/ service(s) rendered (in case of more than one good(s) /service(s) additional columns may be added.						Basis of apportionment of the good(s)/ service(s) under reference
				Current Year			Previous Year			
	Quantity	Rate	Amount	Quantity	Rate	Amount	Quantity	Rate	Amount	
Factory Overheads (specify) a. b...etc.										
Administration Overheads (specify) a. b...etc.										
Selling Overheads (specify) a. b...etc.										
Distribution Overheads (specify) a. b...etc.										

**Note :** The break-up under each head should be furnished in respect of major items constituting at-least 90% of the overhead cost under each head.

**13. RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES:**

Particulars	Current Year (For the Company as a whole)	Share of the Goods/Services covered			Basis of apportionment
		A	B	C..etc.	
1. Process development and improvement					
2. Existing product/service /service development					
3. New product/service /service development					
4. Others, if any					
5. Total amount					
6. Amount capitalized/ deferred during the year					
7. Net amount (5-6)					
8. Deferred amount of earlier years, if any					
9. Total amount provided in the cost records (7+8)					
10. Amount paid to related parties					

**14. ROYALTY AND TECHNICAL KNOW HOW CHARGES:**

Particulars	For Company as a whole	Share of the Goods/Services covered			Basis of apportionment
		Current Year	A	B	
1. Royalty on production/ Sales/provision of services					
2. Lump sum payment of royalty, if any					
3. Technical know-how charges					
4. Others, if any					
5. Total amount					
6. Amount capitalized/ deferred during the year					
7. Net amount (5-6)					
8. Deferred amount of earlier years, if any					
9. Amount provided in the financial accounts (7+8)					
10. Amount absorbed in the cost records					
11. Shortfall/ Excess, if any					
12. Amount paid to related parties					

Note : The details should be furnished in respect of each agreement separately.

**15. ABNORMAL/NON-RECURRING COST**

Particulars (Specify)	Current Year	Previous Year
1.		
2.		
3...etc		
.....		
Total		

**16. NON-MOVING STOCK (good-wise/service-wise details of non-moving stock may be provided):**

Particulars	Current Year	Previous Year
(A) Goods/Service (Specify)		
1.		
2.		
3...etc.		
(B) Goods/Service (Specify)		
1.		
2.		
3...etc.		
(C) Goods/Service (Specify)		
1.		
2.		
3...etc.		

17<sup>v</sup>**WRITTEN OFF STOCK /FORFEITED SERVICES (good-wise/service-wise details may be provided):**

Particulars	Current Year	Previous Year
(A) Goods/Service (Specify)		
1.		
2.		
3...etc.		
(B) Goods/Service (Specify)		
1.		
2.		
3...etc.		
(C) Goods/Service (Specify)		
1.		
2.		
3...etc.		



## 18. INVENTORY VALUATION (at the end of the year):

Particulars	Basis of valuation	Current Year			Previous year		
		Quantity	Rate	Amount	Quantity	Rate	Amount
1. Input material:							
(i) Purchased							
- Indigenous							
- Imported							
(ii) Self manufactured							
2. Chemicals, additives and consumables							
3. Stores and spares							
4. Packing materials							
5. Tools and implements and Jigs, Dies and Fixtures.							
6. Work-in-progress:							
(i) material cost							
(ii) conversion cost (details to be given)							
7. Finished goods:							
(i) unpacked							
(ii) packed							
8. Scrap/wastage							
9. Others, if any							
10. Total value of inventory as per cost accounts							
11. Total value as per financial accounts							
12. Reasons for major differences, if any							

**Notes :**

- (1) In respect of item at Sr. Nos. 1 and 6 details be furnished in respect of each major input material constituting at least 5% of the total material cost.
- (2) Give in brief the method of inventory valuation system indicating the elements of cost included therein and the extent thereof.
- (3) Capital work-in-progress to be shown separately.

## 19. Sales/Revenue of the good(s)/service(s) covered:

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Quantity	Rate	Amount (Rs.)	Quantity	Rate	Amount (Rs.)
1. Purchased Goods/Outsourced services : (specify) (a) (b)						
2. Loan License Basis: (specify) (a) (b)						
3. Own Manufactured/self-rendered: specify (a) (b)						
4. Total Sales/Revenue						

**Note:** (i) Separate details shall be furnished for indigenous sales and export sales.

**20. Margin per Unit of Output/service rendered:**

Particulars	Current Year			Previous Year		
	Sales/Revenue (Rs.)	Cost of Sales (Rs.)	Margin (Rs.)	Sales/Revenue (Rs.)	Cost of Sales (Rs.)	Margin (Rs.)
1. Purchased Goods/Outsourced services: Specify						
2. Loan License Basis/third party services (Specify)						
3. Own Manufactured/Self-rendered: (Specify)						

**Note:** (i) Above details shall be furnished for good(s)/service(s) covered.

(ii) Separate details shall be furnished for margin on indigenous sales and export sales. Whereas the good(s)/service(s) (such as sugar, bulk drugs, formulations etc.) is sold at different prices in accordance with government policy, sales realization and margin on such good(s)/service(s) at different prices shall be shown along with quantity and value.

**21. Related Party Transaction:**

Sl. NO.	Name & Address of the Related Party	Good(s)/service(s)	Quantity	Transfer Price	Nature of Transaction (sale, purchase etc.)	Amount	Normal Price	Basis adopted to determine the Normal Price

**Note:** 1. Details should be furnished for each sale/purchase separately.

**22. Central Excise/Service Tax Reconciliation for the Good(s)/service(s) under reference**

S. No.	Particulars	Good(s)/Service(s)		
		A	B	C
<b>A.</b>	<b>Quantitative Details:</b>			
1	Opening Stock			
2	Add: Production/services			
3	Less: Closing Stock			
4	Total Sales/Clearances			

S. No.	Particulars	Assessable Value (Rs.)	Rate of Duty	Amount of Duty (Rs.)
<b>B.</b>	<b>Details of Clearances:</b>			
1	Total Clearances			
2	Less: Duty Free Clearances			
3	Excisable/Service taxable Clearances			
4	Penalty/Fine/Interest payable, if any			
5	Total Duty Payable (total 3 & 4)			

S. No.	Particulars	Inputs	Capital Goods	Total
<b>C.</b>	<b>Summary of CENVAT Credit</b>			
1	Opening Balance			
2	Add: Availed during the year			
3	Add: Refunds received during the year			
4	Less: Closing Balance as per Excise/Service Tax Records			
5	Total CENVAT Credit utilized during the year (1+2+3+4)			
6	Closing Balance as per Annual Accounts			

7	Difference between 4-6			
8	(State amount and reasons for difference)			

S. No.	Particulars	Amount (Rs.)
<b>D.</b>	<b>Reconciliation of Duty Paid</b>	
<b>1</b>	<b>Excise Duty Payable as per 'B'</b>	
<b>2</b>	Total Excise Duty paid through: (a) CENVAT Account- (Input goods/services) (b) CENVAT Account- (Capital Goods) (c) P.L.A. Total (a+b+c)	
<b>3</b>	Difference between (1-2)	
<b>4</b>	(State amount and reasons for difference)	
<b>5</b>	Excise Duty as per RT – 12	
<b>6</b>	Difference between (2-5)	
<b>7</b>	Amount and reasons for difference	
<b>E.</b>	<b>Reconciliation of Duty Paid &amp; Recovered:</b>	
<b>1</b>	Excise Duty paid as per P and L A/c	
<b>2</b>	Excise Duty recovered as per P and L A/c	
<b>3</b>	Difference between duty paid and recovered	
<b>4</b>	Amount and reasons for difference	
<b>F.</b>	<b>Reconciliation of Turnover</b>	
<b>1</b>	Turnover as per excise/ST records	
<b>2</b>	Turnover as per Annual Accounts (Net off Duties & Taxes)	
<b>3</b>	Difference between (1-2)	
<b>4</b>	Amount and reasons for difference	

**23. Profit Reconciliation:**

S. No.	Particulars	Current year	Previous year
1	Profit or Loss as per Cost accounting records		
2	Add: incomes not considered in cost accounts: Specify		
3	Less: expenses not considered in cost accounts: Specify		
4	Add: overvaluation of closing stock in financial accounts		
5	Add: under-valuation of opening stock in financial accounts		
6	Less: under-valuation of closing stock in financial accounts		
7	Less: overvaluation of opening stock in financial accounts		
8	Adjustments for others, if any (specify)		
9	Profit or Loss as per financial accounts		

**24. Cost Statement: (for each good(s)/service(s) separately)**

S. No.	Particulars	Quantity	Rate per Unit	Amount	Cost per Unit	
		Unit	(Rs.)	(Rs.)	Current Year (Rs.)	Previous Year (Rs.)
1	Material consumed: 1.Purchased: (a) Indigenous (specify) (b) Imported (specify) 2. Self-Manufactured/Rendered (specify)					
2	Process Chemicals (specify)					
3	Utilities: 1.Purchased: (a) Indigenous (specify) (b) Imported (specify) 2. Self-Manufactured (specify)					

4	Direct Wages and Salaries					
5	Consumable Stores & Spares					
6	Depreciation					
7	Outsourced Service Cost					
8	Intermediate Service Cost					
9	Lease Rent, if any					
10	Repairs and Maintenance: (a) Building (b) Plant & Machinery (c) Others, if any					
11	Other works overheads					
12	Total Works Overheads					
13	Overheads related to service cost					
14	Overheads related to outsourced service cost					
15	Royalty, if any					
16	Technical assistance/know-how fee					
17	Research and Development					
18	Quality Control					
19	Administrative overheads (relating to production/service activities) (a) Salaries and Wages (b) Others (specify) (c) Total (a+b)					
20	Total					
21	Adjustment for variances (where standard costing system is followed)					
22	Add: Opening Stock Less: Closing Stock (Work-in- progress)					
23	Less: Credits (from wastage and by-products/services)/recoveries, if any					
24	Packing cost Primary (a) Material (b) Others (c) Total					
25	Cost of Production/service					
26	Finished Goods purchased, if any					
27	Opening Stock Closing Stock (finished goods/services)					
28	Total					
29	Quantity and cost transferred for: (i) Captive consumption, if any (ii) Sales (iii) Others, if any					
30	Packing cost Secondary (a) Material (b) Others (c) Total					
31	Other expense: (a) Administrative overheads (others) (b) Others (specify)					
32	Selling & Distribution Expenses: (a) Salaries & Wages (b) Freight & Transport charges (c) Commission (d) Advertisement expenses (e) Royalty on sales, if any (f) Warranty expenses (g) Total (a to f)					

33	Interest & Finance Charges: (a) For manufacturing activity (b) Others (c) Total (a to b)					
34	Total Cost of Sales (excluding excise duty/service tax) of packed quantity sold					
35	Sales realization Less: Excise duty & others statutory levies					
36	Net Sales Realization					
37	Margin					
38	Add: export benefits and incentives, if any					
39	Total margin (including export benefits)					
40	Ex-factory price (excluding sales tax)					
41	Maximum retail price (excluding sales tax etc.)					
42	Maximum retail price, if any, prescribed by the Government/statutory body etc.					

**Note:**

1. Separate proforma shall be prepared for each type/variety/ description of good(s)/service(s) under reference.
2. Separate proforma shall be prepared for the quantity used for captive consumption, quantity sold within the country and the quantity exported. Expenses incurred on export and the incentive earned thereon shall be indicated in the proforma applicable for the quantity produced and exported.
3. Separate proforma shall be prepared for any related party/inter-unit transfer of intermediate/finished good(s)/service(s) under reference.
4. The proforma may be suitably modified to cover the special features, if any, of the good(s)/service(s) covered.
5. Indicate whether the prices of the good(s)/service(s) covered are ex-factory prices, F.O.R prices, door delivery prices or any other terms. In case of ex-factory prices, whether cost of dispatch packing materials, freight, insurance and delivery charges are recoverable from the customers separately.

Form No. CRA-4

Form for filling Cost Audit Report with the  
Central Government

[Pursuant to Rule 6 (6) of the Companies (cost records and audit) rules, 2014]

**PART 1—GENERAL INFORMATION****Note :** All fields marked in \*are to be mandatorily filled.1\* (a) Corporate identity number (CIN) or foreign  
company registration number of the company

Pre-Fill

(b) Global location number (GLN) of company

2. (a) \* Name of the company

(b) \*Address of the registered office or of the  
principal place of business in India of the company

(c) \*E-mail address of the company

3. (a) \*Financial year

From

(DD/MM/YYYY)

To

(DD/MM/YYYY)

(b) \*Date of Board of Directors meeting in which  
Annexure to the cost audit report was approved

(DD/MM/YYYY)

4 (a) \*State number of good (s) /service (s) for which the Cost Audit Report is being submitted

(c) \*Details of such good (s) /service (s) of the company (Number of rows depending on 4 (a) above)

**Good (s)/servie (s) Covered**

- 5 (a) \*State number of goods (s)/service (s) not covered in the Cost Audit Report  
 (d) (b) \*Details of such good (s)/service (s) of the company (Number of rows depending on 5 (a) above)

**Good (s)/servie (s)**

6 Details of the cost auditor

- (a) \*Category of the the cost auditor Individual Cost accountant's firm LLP  
 (b) \*Name of the cost auditor or the cost auditor's firm appointed as cost auditor of the company

(c) \*Membership number of cost auditor or cost auditor's firm's registration number

(d) Address of the cost auditor or cost auditor's firm

- (i) Line I  
 Line II  
 (ii) City  
 (iii) State  
 (iv) Country  
 (v) Pin Code

(f) \*E-mail Id oft he cost auditor or cost auditors's firm

7 (a) \*Whether the cost auditor's report has been qualified

Yes No

If yes, please state

(b) \*Whether the cost auditor's report has any reservations

Yes No

If yes, please state

(c) \*Whether the cost auditor's report has any adverse remarks

Yes No

If yes, please state

8 (a) \*Whether the cost auditor's report contain any observation or suggestions

Yes No

(b) \*If yes, cost auditor's observations/ suggestions

Yes No

## PART-II

**Attachments :**

- 1 Cost audit report Attach  
 2 Operational attachment (s) – if any Attach

List of attachments

Remove attachment

## Verification :

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of Director's resolution dated (DD/MM/YYYY)  
 number

To sigh and submit this form.  
 I am authorised to sign and submit this form.

**To be digitally signed by :**

Managing Director or Director or Manager or Secretary (in case of an Indian company)  
or an authorised representative (in case of a foreign company)

Digital  
Signature

\*Designation

\*Director identification number of the Director or Managing Director; or the manager  
or of authorised representative; or Membership number, if applicable of the secretary

Director of the company

Digital  
Signatures

Director identification number of the director

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

This e-form has been taken on the file maintained by the Central Government through electronic mode and on the basis of  
statement of correctness given by the filling company and the cost auditor